	Indian Institute of Technology Bhubaneswar Bhubaneswar -751 013 www.iitbbs.ac.in

No.F.13-4/2017-BoG-27-8
May 16, 2017

OFFICE ORDER NO.169/2017

Subject: Enhancement of remuneration/ wages for outsourced staff.

The undersigned is directed to convey that, upon the recommendations of the Finance Committee made in its 26th meeting, the Board of Governors in its 27th meeting held on 03.05.2017 approved the enhanced wages for outsourced manpower w.e.f. 19.01.2017 as notified by the Ministry of Labour & Employment for implementation in the Institute.

Type of Service	Existing Rate per Day (in Rs.)	New Rate per Day (in Rs.)
Un-Skilled	312	437
Skilled	414	579

All concerned are requested to comply with the payment of enhanced wages accordingly to outsourced manpower. A copy of the gazette notification is enclosed.

Encl: As stated.

Registrar

To

1. **Joint Registrar (F&A)**
2. **Superintending Engineer (Civil)**
3. **Assistant Registrar (Estt.)**

Copy to:

1. All Deans/ HoSs
2. All Academic Coordinators
3. All PICs
4. All Chairmen
5. Joint Registrar (F&A)
6. Deputy Librarian
7. All Assistant Registrars
8. Secretary to Director/ Registrar
9. Guard File, BoG

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2017/पौष 29, 1938
No. 173]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2017/PAUSA 29, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

का.आ. 186(अ).—भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2832(अ), तारीख 1 सितंबर, 2016 द्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, दो मास की अवधि की समाप्ति तक जानकारी तथा आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार कृषि नियोजन में लगे हुए कर्मचारियों के अनूसूची में उल्लिखित प्रवर्गों को संदेय दैनिक मजदूरी के पुनरीक्षण न्यूनतम दरों का प्रारूप प्रस्ताव भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था;

उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 2 सितंबर, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

उक्त प्रस्ताव के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि नियोजन में लगे हुए कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के संबंध में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1520(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2005 को, उन बातों से सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् स्तंभ (1) में उसके सामने उल्लिखित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय उससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में स्तंभ (4) से यथाविनिर्दिष्ट दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण करती है।

(1) मजूदरी की न्यूनतम दरें राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरों में निम्नलिखित शामिल होगा।

(क) इसके अधीन उल्लिखित अनुसची के भाग-1 के स्तंभ (2), (3) और (4) में उपवर्णित और उसके स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट कृषि नियोजन में लगे हुए कर्मचारियों के प्रवर्ग को संदेय मजदूरी की मूल दरें ; और

(ख) स्तंभ (1) में उल्लिखित कर्मचारियों के प्रवर्गों के लिए, उक्त अनुसूची के भाग-II के स्तंभ (2), स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में उपवर्णित दरों पर एक विशेष भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनीय महंगाई भत्ता कहा गया है) और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को शुरू होने वाले प्रत्येक छह माह के अंतराल में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा उक्त अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2), स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर पर और रीति में समायोजित किया जाएगा।

अनुसूची

भाग-1

कर्मचारियों के प्रवर्ग	न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें		
	क्षेत्र-क	क्षेत्र-ख	क्षेत्र-ग
(1)	(2)	(3)	(4)
अकुशल	रुपए	रुपए	रुपए
बेलदार, काफ बाय, कैटल मैन, क्लीनर (मोटर शेड, ट्रैक्टर, कैटल यार्ड, एम.टी.) खुले चारे को एकत्र करना, डेरी कुली, डेरी मैन, डिसमेंटलिंग स्टाक, ड्रेसर, चालक (बैलगाड़ी, खच्चर) चरवाहा, हेल्पर (भंडार-मजदूर), मजदूर (बायलर, कैटल यार्ड, कृषि, साधारण माल उतारना तथा चढ़ाना, बंडल बनाना, उर्वरक-ठेला गाड़ी चलाना, फसल कटाई, विविध बीज डालना, बुआई करना), छप्पर डालना, रोपण कार्य, निराई करना, माली, मजदूर (आरपोर्टकल्चरिस्ट कंपोस्ट, डेरी की सूखी घास उठाना, सिंचाई, गोबर, गठ्ठर बनाना, दूध वाला कमरा, राशन का कमरा, भंडार, मलेरिया उन्मूलन, एम.आर.), मैंसेंजर (कार्यालय), चपरासी, साईस, टाइंग तथा गांठों को उठाना, सफाई कर्मचारी, गांठे तोलना और ले जाना, वज़न तोलने वाला (गांठे, पाल्ली), पानी वाला, गौशाला वाला, ट्राली मैन, अकुशल कार्य करने वाले की कोई भी अन्य श्रेणी चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो।	333.00	303.00	300.00
अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक			
सहायक (चौधरी), परिचर (बुल कालविंग लाइन्स, चौकीदार, भूसी-चोकर काटने वाला, होस्टल ड्राई स्टांक, अनाज क्रशर, पंप, सड़क लाइन, गौशाला, यार्ड स्टाक), सहायक-नलसाज, परिचर, भिश्ती, ब्रांडर, बुलमैन, मक्खन वाला, गाड़ीवान, मोची, हल चलाने वाला, दफ्तरी, हरकारा, धोबी, ड्रेसर, फायरमैन, ग्वाला, हैमर मैन, हैल्पर (लुहार), हैल्पर, जमादार (स्टैंड), जमादार, खलासी, माली वरिष्ठ, मेट/मिस्त्री, मजदूर (शिक्षित), नालबंद, आयल मैन, हल वाहक, टाल बनाने वाला, पर्यवेक्षक, छप्पर बनाने वाला, वाल्वमैन, वाल्व मैन (ज्येष्ठ), टिन केबल फिट करने वाले वायरमैन और कोई भी अन्य श्रेणी चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो।	364.00	335.00	307.00

कुशल			
आर्टिफिशियल (वर्ग-2, 3, 4), लुहार, लुहार (वर्ग-2), बायलर मैन, बढ़ई, बढ़ई (वर्ग-2), बढ़ई-सह-लुहार, चौधरी, चालक, चालक (इंजिन ट्रैक्टर, एम.टी.मोटर), इलैक्ट्रीशियन, फिटर, मैसन, मैसन (वर्ग-2), मशीन हैड (वर्ग-2, 3, 4), मशीन मैन, मेट ग्रेड-1 (ज्येष्ठ), मैकेनिक, मिल्क राइटर, मिस्त्री (प्रमुख), मोल्डर, मस्टर राईटर, आपरेटर (टयूबवैल), पेंटर, प्लंबर, वैल्डर, अपहोल्स्टरर, वायरमैन, और अन्य श्रेणियां चाहे उनको किसी भी नाम से क्यों न जाना जाता हो।	395.00	364.00	334.00
उच्च कुशल			
आर्टिफिशियर वर्ग 1, लुहार वर्ग 1, बढ़ई वर्ग 1, मशीन हैंड वर्ग 1, मैसन वर्ग 1, मैकेनिक (ज्येष्ठ), उच्च कुशल प्रकृति की अन्य श्रेणियां चाहे उनको किसी भी नाम से क्यों न जाना जाता हो।	438.00	407.00	364.00
लिपिकीय			
सहायक (फार्म), सहायक (कैशियर), कम्प्यूटर/डाटा एंट्री आपरेटर, लिपिक, मुंशी, रजिस्टर कीपर, स्टोर कीपर, टाइप-कीपर, टंकक, लिपिकीय प्रकृति की अन्य श्रेणियां चाहे उनको किसी भी नाम से क्यों न जाना जाता हो।	395.00	364.00	334.00

भाग 2

कर्मचारियों के प्रवर्ग	जनवरी-जून, 2016 के लिए, प्रत्येक अंक की वृद्धि के लिए या 271 से आगे परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दर जिसे औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (मूल वर्ष 2001=100) है।		
	क्षेत्र 'क'	क्षेत्र 'ख'	क्षेत्र 'ग'
1. अकुशल	1.22	1.11	1.10
2. अर्ध-कुशल/अकुशल-पर्यवेक्षकीय	1.34	1.23	1.13
3. कुशल और लिपिकीय	1.45	1.34	1.23
4. अत्यधिक कुशल	1.61	1.50	1.34

भाग 3

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

(क) इस अधिसूचना की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सभी स्थान क्रमशः क्षेत्र "क", और क्षेत्र "ख" में सम्मिलित होंगे और जिसके अंतर्गत कोई नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड या किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति की सीमा से 15 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले स्थान भी है और क्षेत्र "ग" में वे अन्य सभी स्थान सम्मिलित होंगे जिनका अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया है और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) का विस्तार है। वित्त मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता के भुगतान के प्रयोजन के लिए समय-समय पर जोड़े गए स्थानों को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से जोड़ा गया माना जाएगा।

(ख) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर उपर्युक्त नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम है जिसके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है, उन क्षेत्रों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियत मजदूरी की दर इस अधिसूचना के अधीन संदेय मजदूरी की न्यूनतम दर मानी जाएगी।

(ग) (i) "अकुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिस कार्य के साधारण प्रचालन में कम या कौशल या अनुभव की अपेक्षा अंतर्वलित नहीं है।

(ii) "अर्धकुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कुछ सीमा तक अनुभव के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है तथा किसी कुशल कर्मचारी की पर्यवेक्षकीय या मार्गनिर्देशन के अधीन कार्य पालन करने में सक्षम है और जिसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी है।

(iii) "कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है और ऐसा कार्यपालन जिसमें पहल और निर्णय के लिए आवश्यकता होती है।

(iv) "अत्यधिक कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें पूर्णता की कोई डिग्री और कतिपय कार्यों के कार्य निष्पादन पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है जिसके अंतर्गत गहन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय युक्तियुक्त अवधि के लिए व्यवहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित लिपिकीय कार्य है और किसी कर्मकार से इन कार्यों के निष्पादन में अंतर्वलित कोई निर्णय या विनिश्चय के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व को संभालने की भी अपेक्षा है।

(घ) मजदूरी की न्यूनतम दरों में विश्राम के साप्ताहिक दिन की मजदूरी शामिल है।

(ङ) इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

(च) नि:शक्त व्यक्तियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें वहीं होंगी, जिनका संदाय समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों को किया जाता है।

(छ) स्त्री, पुरूष और उभयलिंगी कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए, मजदूरी की समान दरों के लिए हकदार होंगे।

(ज) मजदूरी की न्यूनतम दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दोनों से मिलकर न्यूनतम मजदूरी की दर बनेगी जिसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन लागू किया जाएगा।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

डॉ. डी. चौधरी, उप महानिदेशक

उपाबंध

क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्षेत्र - "अ"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलेक्स	(नगर निगम)
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	(यूए)
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत्त मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	(नगर निगम)
नवी मुंबई	(यूए)	पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "आ"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)

अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-छावनी	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सलेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवंतपुरम्	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)		
बृहत्त विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)		
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुंटूर	(यूए)	पंचकुला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 : क्षेत्र "इ" ऐसे सभी क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, जो इस सूची में वर्णित नहीं है किंतु जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी समूह अभिप्रेत है।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2017

S.O. 186(E).—Whereas the draft proposal to revise the minimum rates of wages per day payable to the Schedule mentioned categories of employees engaged in the employment of Agriculture was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), vide notification number S.O. 2832(E), dated the 1st September, 2016 of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date on which the copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd September, 2016;

AND whereas objections and suggestions received on the said proposal have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the said Act, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O.1520(E), dated the 20th October, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), relating to revision of minimum rates of wages payable to the employees engaged in the employment of Agriculture, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Advisory Board hereby revises the minimum rates of wages per day, as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees mentioned against them in column (1) thereof, in the employment of Agriculture.

(1). The revised minimum rates of wages shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(2). The revised minimum rates of wages shall consist of,-

(a) basic rates of wages as set out in columns (2), (3) and (4) of Part I of the Schedule mentioned hereunder and payable to the categories of employees engaged in the employment of agriculture as specified in column (1) thereof; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) at the rates as set out in columns (2), (3) and (4) of Part II of the Schedule for the respective categories of employees mentioned in column (1) thereof and the Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of every six months commencing on 1st October and 1st April of every year on the basis of the average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 2001=100) for the preceding period of six months ending on 30th June and 31st December every year respectively, at the rate of and in the manner specified in the columns (2), (3) and (4) of Part II of the said Schedule.

SCHEDULE

PART I

Categories of employees	Basic Rates of Minimum Wages		
	Area-A	Area-B	Area-C
(1)	(2)	(3)	(4)
Unskilled	Rs.	Rs.	Rs.
Beldar, Calf boy, Cattleman, Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle Yard, M.T), Collecting loose fodder, Dairy coolie, Dairyman, Dismantling stocks, Dresser, Driver (Bullocks Mule), Grazler, Helper, (Store-Mazdoor), Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting-Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding) Mali, Mazdoor (Arportculturist Compost, Dairy's Haystaking, Irrigation, Manure, Stacking, Milk-room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.), Messenger (Office), Peon, Syce, Tying and Carrying loose hay, Sweeper, Weighing and Carrying bales, Weighman (Bales, pally), Waterman, Stable man, Trolly man, and any other categories by whatever name called which are of unskilled nature.	333.00	303.00	300.00
Semi-skilled/Unskilled Supervisory			
Assistant (Chowdhary), Attendant (Bull-calving lines, Chowkidar, Chaff cutter, Hostel, Dry Stock, Grain crusher, Pump, Siekline, Stable, Yard Stock), Assistant-Plumber, Attendant, Bhisti, Brander, Bullman, Butterman, Coachman, Cobbler, Cultivator, Daftry, Deliveryman, Dhobi, Dresser, Fireman, Gowala, Hammerman, Helper (Blacksmith), Helper, Jamadar (stand), Jamadar, Khalasi, Mali Senior, Mate/Mistry, Mazdoor (literate), Nalband, Oilman, Ploughman, Vtackers, Supervisor, Thatcher, Valveman, Valveman (Senior), Wireman fixing tin cables, and any other categories by whatever name called which are of a semi-skilled nature.	364.00	335.00	307.00
Skilled			
Artificer (Class-II, III, IV), Blacksmith, Blacksmith (Class II), Boilerman, Carpenter, Carpenter (Class II) Carpenter-cum-	395.00	364.00	334.00

Blacksmith, Chowdhary, Driver, Driver (Engine Tractor, M.T. Motor), Electrician, Fitter, Mason, Mason Class II, Machine hand (Class II, III, IV), Machineman, Mate Gr. I (Senior), Mechanic, Milk Writer, Mistry (Head), Moulder, Muster Writer, Operator (Tube-well), Painter, Plumber, Welder, Upholsterer, Wireman, and any other categories by whatever name called which are of a skilled nature.			
Highly Skilled			
Artificier Class I, Blacksmith Class I Carpenter Class I, Machine Hand Class I, Mason Class I, Mechanic (Senior), and any other categories by whatever name called which are of highly skilled nature.	438.00	407.00	364.00
Clerical			
Assistant (Farm). Assistant (Cashier), Computer/Data Entry Operator, Clerk, Munshi, Register Keeper, Storekeeper, Time Keeper, Typist, and any other categories by whatever name called which are of clerical nature.	395.00	364.00	334.00

PART II

Categories of Workers	Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 271, which is the average monthly Consumer Price Index Number for industrial workers (Base year 2001=100), for the period January-June, 2016.		
	Area 'A'	Area 'B'	Area 'C'
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Unskilled	1.22	1.11	1.10
2. Semi-skilled/ Unskilled-Supervisory	1.34	1.23	1.13
3. Skilled and Clerical	1.45	1.34	1.23
4. Highly Skilled	1.61	1.50	1.34

PART - III

Explanation : For the purposes of this notification, -

(a) Area "A" and Area "B" shall respectively comprise of all the places as specified in the Annexure to this notification and include all places within a distance of fifteen kilometers from the periphery of Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place, and Area "C" shall comprise of all the other places not mentioned in the Annexure to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends. The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of House Rent Allowance to Central Government employees shall be taken to be added from such dates for the purpose of classification specified in the Annexure to this notification;

(b) Where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for the employees of the aforesaid employments in relation to which the State Government is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall in respect of these areas, be deemed to be the minimum rates of wages payable under this notification;

(c) (i) **"Unskilled Work"** means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(ii) **"Semi-skilled Work"** means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and include unskilled supervisory work;

(iii) **"Skilled Work"** means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(iv) **"Highly Skilled Work"** means work which calls for a degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks including clerical work acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for certain reasonable period and also requires of an worker to assume full responsibility for the judgement or decision involved in the execution of the tasks;

(d) The minimum rates of wages include the Wages for weekly day of rest;

(e) The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also;

(f) The minimum rates of wages payable to disabled employees shall be the same as payable to workers of the appropriate category;

(g) The men, women and transgender employees shall get the same rates of wages for the same work or work of similar nature; and

(h) Minimum rates of wages and variable dearness allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).

[F. No. S-32017/1/2016-WC (MW)]

Dr. D. CHAUDHURI, Dy. Director General

ANNEXURE

CLASSIFICATION OF AREA

AREA – "A"

Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	(M.Corpn)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	(M. Corpn)
Navi Mumbai	(UA)	Pune	(UA)		

AREA – "B"

Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M.Corpn)	Jaipur	(M.Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M.Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M.Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneshwar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M.Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvanantapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M.Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corpn)	Ujjain	(M.Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)		
Gorakhpur	(UA)	NandedWaghala	(M. Corpn)		
Greater Visakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)		
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)		
Guntur	(UA)	Panchkula	(UA)		
Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		

Note 1.-Area 'C' shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.

Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

का.आ. 187(अ).— "जिप्सम खानों, पैराइट्स खानों, बाक्साइट खानों, मेंगनीज खानों, चाइना क्ले खानों. क्यानाइट खानों, तांबा खानों, क्ले खानों, मेग्नेसाइट खानों, व्हाइट क्ले खानों, पत्थर खानों, स्टीटाइट खानों, (सोप स्टोन एवं टैल्क उत्पादित करने वाली खानों सहित), गेरू खानों, एम्बेस्टस खानों, फायर क्ले खानों, क्रोमाइट खानों, क्वार्टजाइट खानों, क्वाटाइज खानों, सिलिका खानों, ग्रेफाइट खानों, फेल्सपर खानों, लेटेराइट खानों, डोलोमाइट खानों, रेड आक्साइड खानों, वोलफ्राम खानों, लौह अयस्क खानों, ग्रेनाइट खानों, रॉक फास्फेट खानों, हेमेटाइट खानों, संगमरमर खानों और कैलसाइट खानों, यूरेनियम खानों, अभ्रक खानों, लिग्नाइट खानों, ग्रेवल खानों, स्लेट खानों और मेग्नेटाइट खानों" के नियोजन में लगे हुए कर्मचारियों के अनुसूची में अतिरिक्त प्रवर्गों को संदेय दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर को संशोधित करने के लिए प्रारूप प्रस्ताव भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुसूची सं. का. आ. 2833(अ) तारीख 1 सितंबर, 2016 द्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना के अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, दो मास की अवधि की समाप्ति तक जानकारी तथा आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करता हुए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 2 सितंबर, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और राजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1286(अ), तारीख 20 मई, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप गिया गया है सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात्, स्तंभ (2) में उनके सामने उल्लिखित कर्मचारियों और पूर्वोक्त खानों के नियोजन में लगे हुए कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय, उससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट दैनिक मजदूरी के न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण करती है ।

(1) न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी ।

(2) मजदूरी की पुनरीक्षित दरों में निम्नलिखित शामिल होगा,-

(क) इसके अधीन उल्लिखित अनुसूची के भाग-1 के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में उपवर्णित और उसके स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्वोक्त खानों में नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की मूल दरें; और

(ख) उक्त अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) और स्तंभ (2) में उल्लिखित खानों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय विशेष भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कहा गया है) और परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकार (आधार 2001=100) के लिए औसत उपभोक्ता कीमत सूचकांक संख्यांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष के 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक छह मास के अंतराल पर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर पर और रीति में समायोजित किया जाएगा :

(ग) कर्मचारियों का वर्गीकरण अनुसूची के भाग-3 में यथाउल्लिखित होगा।

अनुसूची

भाग 1

क्र.सं.	कर्मचारियों का प्रवर्ग	दैनिक मूल मजदूरी की न्यूनतम दर (रुपए में)	
		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकुशल	350.00	437.00
2.	अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	437.00	523.00
3.	कुशल और लिपिकीय	523.00	610.00
4.	अति कुशल	610.00	683.00

भाग 2

क्र.सं.	कर्मचारियों का प्रवर्ग	271 से परे बढ़ोत्तरी या गिरावट के प्रत्येक बिंदु के लिए ऐसी परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर, जो जनवरी-जून, 2016 की अवधि के लिए, औद्योगिक कर्मकार (आधार वर्ष 2001=100) के लिए औसत मासिक उपभोक्ता कीमत सूचकांक संख्या है।	
		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकुशल	1.29	1.13
2.	अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	1.61	1.36
3.	कुशल/लिपिकीय	1.93	1.58
4.	अति कुशल	2.25	1.80

भाग 3

कर्मकारों का वर्गीकरण

(1) अकुशल कर्मकार

1. क्लीनर	2. ड्रेसर/ड्रेसिंग मजदूर	3. हैल्पर
4. लोडर	5. मजदूर (महिला/पुरुष)	6. संदेश वाहक (महिला/पुरुष)
7. ट्रेमर	8. केयर टेकर (तांबा, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों को छोड़कर, जहां यह अर्द्धकुशल है)	9. कार्यालय चपरासी/चपरासी (बाक्साइट खानों को छोड़कर)
10. सफाईवाला (महिला/पुरुष)	11. वाहक	12. नंबर टेकर
13. ट्राली ट्रिपर	14. जल वाहक	15. होल कटर
16. अर्थ कटर	17. सर्वेक्षण खलासी	18. मशीनों पर कार्य न करने वाला खलासी
19. वाहक (पत्थर)	20. गाड़ीवान	21. कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
22. ड्राइवर (खच्चर, बैल, ऊंट, गधा)	23. बत्तीवान	24. पैट्रोल मैन
25. वाटर मैन	26. बेलदार/बेलदार	27. कुली
28. ब्रेकर (दस्ती औजार इस्तेमाल करने वाला)	29. रसोइया सहायक	30. आफिस ब्वाय
31. खदान मजदूर	32. जैलीमेकर	33. अतिभार हटाने वाला

34. रद्दी हटाने वाला मजदूर	35. अनलोडर	36. उत्खनन श्रमिक
37. बेलदार	38. कसाई	39. अटेंडर
40. कंप्रेसर अटेंडेंट	41. लारी हेल्फर	42. भूतल लोडर
43. वुडकटर	44. भूतल मुकर	45. भूमिगत मुकर

और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अकुशल हों।

2. अर्द्धकुशल कर्मकार/अकुशल पर्यवेक्षण

1. भिस्ती	2. सहायक ड्रिलर	3. खनिक
4. बटलर/रसोइया	5. ब्रेकर (यांत्रिकी साधित्रों का उपयोग करने वाला)	6. क्रेच आया/आया/अप्रशिक्षित क्रेच परिचारक
7. अप्रशिक्षित मेट/खनन मेट/धातुमय खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र रहित मेट	8. आयलमैन/आयलर	9. चौकीदार/वाचमैन
10. सहायक (राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार)	11. टिन्डल्स	12. मुक्कदम (धातुमय बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र रहित)
13. पंप अटेंडेंट (जिप्सम, बेराइट्स और रॉक फास्फेट को छोड़कर)	14. खलासी (बुलडोजर)/पम्प खलासी/डम्पर खलासी/कंप्रेसर खलासी	15. मशीनें देखभाल करने वाला खलासी
16. क्वैरी मैन	17. क्वैरी आपरेटर	18. स्टाकर
19. स्टोर मैन	20. थैचर	21. थुम्बा मैन
22. ट्राली मैन	23. जमादार	24. बैरा (बीयरर)
25. सफेदी करने वाला	26. ब्रेक मैन	27. टोपाज
28. टोपकार	29. हैल्पर (लोको, क्रेन, ट्रक)	30. ऐज रनर
31. पैक वालर्स	32. राक वालर्स	33. जैक हैमर
34. पिलर मैन	35. बैंक्स मैन	36. कैश गार्ड
37. चैकर	38. धोबी (पुरुष/महिला)	39. फायर मैन (माइका खानों को छोड़कर, जहां यह कुशल हैं)
40. हैमर मैन	41. ग्राइंडर	42. ग्रीसर
43. माली/बागवान	44. प्वांइट्स मैन	45. अटेंडेंट
46. टेलीफोन अटेंडेंट	47. बॉयलर मैन/बिना प्रमाणपत्र वाला	48. सहायक ब्लास्टर
49. क्रशर आपरेटर	50. लैंप कक्ष इचार्ज/अटेंडेंट	51. सैंपलर/सैंपलर बॉय
52. स्टोन कटर और ड्रेसर	53. ड्रेसर ग्रेड-।।	54. सिपाही
55. मीटर रीडर	56. तांबा, क्रोमाइट तथा ग्रेफाइट खानों के केयर टेकर	57. सहायक ड्रिल प्रचालक
58. कैंटीन बॉय	59. बटलर-सह-रसोइया	60. वेंटीलेशन फैन परिचर
61. औजार तेज करने वाला	62. पिकर (पुरुष/महिला)	63. चार्ज रूम परिचर
64. सहायक मिस्त्री	65. सहायक फिटर	66. यांत्रिक सहायक
67. मेल डाक रनर	68. परिचर श्रेणी 'ग'	69. प्रयोगशाला परिचर
70. श्रमिक सिरधार	71. हलवाई	72. कैंटीन परिचर
73. सिग्नल मैन	74. डाक बॉय	75. वार्ड बॉय

76. प्रयोगशाला बॉय	77. चपरासी, केवल बाक्साइट खानों में	78. ज्येष्ठ सफाईवाला
79. कतरन उठाने वाला (शीयरर)	80. वास्ट कटर	81. गन-मैन
82. विस्फोटक वाहक	83. गेज कर्मकार	84. डिस्क कर्मकार
85. छंटाईकर्ता	86. माइका कटर ग्रेड-ll	87. चीजलमैन
88. फॉयर क्ले प्रेस अथवा शोषक एंव परिशोधन भूमि काटने के लिए अपेक्षित अधिभार के अलावा	89. श्रमिक दफादार	90. खान दफादार
91. मैनुअल चिल्ली ब्रेकर	92.मैनुअल ब्लास्ट/मैटल ब्रेकर	

और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अर्द्धकुशल हों।

3. कुशल कर्मकार

1. ऐअरविन्ह हॉलेज प्रचालक	2. ऑटो इलेक्ट्रीशियन	3. पेंटर
4. लोहार	5. दर्जी	6. कंप्रेसर आपरेटर
7. ब्लास्टर/शॉट फायरर	8. ड्राइवर	9. प्रधान रसोइया
10. चार्जमैन	11. बढ़ई	12. कंकरीट मिक्सर प्रचालक
13. कंप्रेसर परिचर	14. एयर कंप्रेसर परिचर	15. ट्रेक्टर चालक
16. वाहन चालक	17. कैमिस्ट और सहायक/ कैमिस्ट	18. उप-ओवरसियर (गैर-योग्ता प्राप्त)
19. ड्रिलर	20. हैंडहोल ड्रिलर	21. ड्रिल मिस्त्री
22. ड्राइवर ऑटो	23. इलेक्ट्रिशियन	24. बेतार प्रचालक सहायक फोरमैन
25. फोरमैन	26. फिटर	27. मांझी
28. इस्यूअर लोको	29. सुपर फोरमैन	30. उत्तोलक प्रचालक
31. आईएमसीई चालक	32. चालक (ड्राइवर)	33. लोको ड्राइवर
34. लोडर प्रचालक	35. लाइनमैन	36. मैकेनिक/मशीनिस्ट
37. राज	38. दाई	39. टिनकार
40. पर्यवेक्षण मिस्त्री	41. पंप परिचर केववल जिप्सम, बैराइट्स एवं रॉक फॉस्फेट में	42. पंप प्रचालक/चालक
43. खनन मेट धातुमय खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाणपत्र सहित	44. मिस्त्री	45. कुशल मजदूर
46. टर्नर	47. ज्येष्ठ मैकेनिक	48. पाइप फिटर
49. पर्यवेक्षक	50. ड्राफ्ट्स मैन	51. वायर मैन
52. टिम्बर मैन/टिम्बर मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन	53. पत्थर पीसने वाला प्रचालक	54. पेराई चालक
55. मोल्डर	56. वेल्डर	57. प्रचालक
58. वर्क मिस्त्री	59. इंजन चालक	60. खनन इंजन चालक ग्रेड-ll
61. इंजन वाला	62. वाल्वमैन	63. कटर
64. वाइंडिंग इंजन चालक ग्रेड-ll	65. सुरक्षा गार्ड (गैर-सशस्त्र)/प्रधान चौकीदार	66. शोवल प्रचालक
67. लिम्को लोडर प्रचालक	68. सर्फेस पर्यवेक्षक	69. डोजर प्रचालक
70. कंप्रेसर ड्रिलर	71. डम्पर ट्रैक्टर प्रचालक	72. बायलर मैन (प्रमाणपत्र सहित)
73. मशीनरी परिचर	74. वातानुकूलन मिस्त्री	75. शिशुसदन (क्रेच) परिचर, केवल मैगनिसाइट, मैगनीज तथा अभ्रक खानों में
76. पावर शोवल प्रचालक	77. पावर तथा पंप हाउस प्रचालक	78. खनिक ग्रेड-l
79. ट्रेक्टर प्रचालक	80. टब की मरम्मत वाला	81. लेथ मिस्त्री

82. स्थिर इंजन परिचर	83. जेनरेटर प्रचालक	84. लोडिंग फोरमैन
85. डीजल मिस्त्री	86. फैरो-प्रिंटर एवं चेयरमैन	87. कर्षण प्रचालक
88. औषधालय परिचर	89. वर्क सकार	90. अभ्रक काटने वाला ग्रेड-I
91. ड्रैसर ग्रेड-1 अभ्रक	92. पर्यवेक्षी फायरमैन	93. फायरमैन केवल अभ्रक खानों में
94. कंप्रेसर चालक	95. पंप मैन चालक	96. पीसनहारा अभ्रक खानों में
97. सिरधार लेथमैन	98. मुक्कदम (धातुमय खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाणपत्र सहित)	99. भूविज्ञानी

और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कुशल हों।

4. लिपिकीय कर्मकार

1. भंडार लिपिक	2. मिलान लिपिक	3. सामान जारी करने वाला
4. औजार रखने वाला	5. संगणक/डाटा एंट्री आपरेटर	6. अभिलेखपाल
7. ट्रेसर	8. फाइल लिपिक	9. पंजिका-पाल (रजिस्टर कीपर)
10. समय-पाल (टाइम-कीपर)	11. लिपिक	12. मुंशी
13. भंडार परिचर	14. टेलर लिपिक	15. टंकक
16. शस्त्रागार लिपिक	17. टेलेक्स या टेलीफोन प्रचालक	18. हिन्दी अनुवादक
19. सहायक	20. पुस्तकालयाध्यक्ष	21. सहायक शस्त्रागार लिपिक
22. स्टोर-कीपर		

और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो लिपिक हों।

5. अतिकुशल कर्मकार

1. कंपाउन्डर	2. ओवरसीयर	3. सर्वेक्षक
4. वाइंडिंग इंजन चालक	5. प्रचालक (भारी अर्थ मूविंग) शोवल तथा बुल-डोजर	6. प्रधान मिस्त्री
7. स्टाफ नर्स डिप्लोमा सहित	8. ड्रिल आपरेटर जैक हैमर के अलावा	9. बिजली पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाणपत्र सहित
10. भूमिगत पाली प्रभारी	11. प्रधान मैकेनिक	12. योग्यता प्राप्त और अनुभवी वेल्डर
13. मशीनी औजार मैकेनिक	14. यांत्रिकी/संयंत्र फोरमैन	15. खनन पर्यवेक्षक
16. व्यवसायिक प्रशिक्षण अनुदेशक/अध्यापक	17. प्रधान बिजली मिस्त्री	18. लेखाकार
19. आशुलिपिक 7 वर्ष की सेवा सहित	20. भंडार प्रभारी	21. पाली प्रभारी
22. पर्यवेक्षक	23. कार्य एंड वार्ड प्रभारी	24. सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)

और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अतिकुशल हों।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

(क) मजदूरी की न्यूनतम दरों में मूल दरें, निर्वाह भत्ते अर्थात् विशेष भत्ते का व्यय तथा आवश्यक वस्तुओं की रियायती आपूर्ति का नकद मूल्य, यदि कोई हो, सहित सभी समावेशी दरों से मिलकर बनेंगी ;

(ख) मजदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक विश्राम-दिन के लिए मजदूरी सम्मिलित है ;

(ग) न्यूनतम मजदूरी दरें, ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को भी लागू होंगी ;

(घ) न्यूनतम मजदूरी दरें नि:शक्त व्यक्तियों के लिए वही होंगी, जो समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों को संदेय हैं ;

(ङ) (i) "अकुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के संबंध में ऐसी साधारण संक्रियाएं अंतर्वलित हैं, जिनमें अल्प या कोई कौशल या अनुभव की अपेक्षा नहीं की जाती है;

(ii) "अर्द्ध कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के संबंध में अनुभव के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता की कोई ऐसी डिग्री अंतर्वलित है जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन निष्पादन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत पर्यवेक्षण कार्य भी है;

(iii) "कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के संबंध में अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है और जिसके निष्पादन में पहल और निर्णय की अपेक्षा की जाती है;

(iv) "खनिक" से ऐसा कोई कर्मकार अभिप्रेत है जो किसी खान में खुदाई, बिनाई, छंटाई, क्रीजिंग, प्रसंस्करण के माध्यम से उत्खनन/निष्कर्षण और किसी खान में सीधे ही लदाई और उसके अन्य आनुषंगिक संकर्मों में अंतर्वलित है/लगा हुआ है ; और

(v) "अति कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसमें लंबे वर्षों तक गहन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या व्यवहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित कतिपय कार्य के निष्पादन में निपुणता और पूर्ण सक्षमता की उच्च डिग्री अपेक्षित है और किसी कर्मकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन में अंतर्वलित अपने विवेक या विनिश्चय की पूर्ण जिम्मेदारी ले ;

(च) किसी खान में या उसके संबंध में कार्यरत या नियोजित कोई व्यक्ति "भूमि के नीचे" कार्यरत या नियोजित कहा जाता है, यदि वह,-

(i) ऐसी कूपकी, जो डूब गई है या डूबने के अनुक्रम में रही है; या

(ii) किसी ऐसे उत्खनन में, जिसका भूमि के ऊर्ध्ववर्ती भूमि के नीचे विस्तार है; या

(iii) किसी खुले ढलाई कार्य में, जिसमें उसके उच्चतम बिंदु से उसके निम्नतम बिंदु तक मापी गई उत्खनन की गहराई छह मीटर से अधिक है, में कार्यरत है या नियोजित है;

(छ) जहां संविदा या करार या अन्यथा के आधार पर किसी कर्मकारी की मजदूरी की विद्यमान दरें, अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां उच्चतर दरों का संरक्षण किया जाएगा और इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के रूप में माना जाएगा ;

(ज) जहां किसी क्षेत्र में पत्थर खानों के संबंध में इस अधिसूचना के अनुसार नियत न्यूनतम मजदूरी दरें, किसी खान या खदान में या किसी अन्य ठहराव के अधीन किए गए पत्थर तुड़ाई या पत्थर पीसने के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी से कम है, वहां मजदूरी की उच्चतर दर, पत्थर खानों के नियोजन में नियोजित कर्मकारों को संदेय होगी और वह मजदूरी इस अधिसूचना के अधीन नियत मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में समझी जाएगी ;

(झ) पुरुष, स्त्री और उभयलिंगी कर्मचारी वैसे ही कार्य या वैसी ही प्रकृति के संकर्मों के लिए मजदूरी की वैसी ही दरों के हकदार होंगे ;

(ञ) न्यूनतम मजदूरी दरें और परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, दोनों ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन प्रवर्तनीय होने वाली मजदूरी की न्यूनतम दरों का गठन करते हैं ।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

डॉ. डी. चौधरी, उप महानिदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2017

S.O. 187(E).—Whereas the draft proposal to revise the minimum rates of wages per day payable to the Schedule mentioned categories of employees engaged in the employment of "Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines, Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines" was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2833(E), dated the 1st September, 2016 for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd September, 2016;

AND whereas objections and suggestions received on the said proposal have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and sub- section (2) of section 5 of the said Act, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1286(E), dated the 20th May, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Advisory Board hereby revises the minimum rates of wages per day, as specified in columns (3) and (4) of the schedule annexed hereto, payable to the categories of employees mentioned against them in columns (2) thereof and engaged in the employment of aforesaid mines.

(1) The revised minimum rates of wages shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(2) The revised minimum rates of wages shall consist of,-

(a) basic rates of wages as set out in columns (3) and (4) of Part – I of the Schedule mentioned hereunder and payable to the categories of employees employed in the employment in the aforesaid mines as specified in column (2) thereof; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) at the rate as set out in columns (3) and (4) of Part – II of the said Schedule and payable to the categories of employees working in mines mentioned in column (2) and the Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of every six months commencing on 1st October and 1st April of every year on the basis of the average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 2001=100) for the preceding period of six months ending on 30th June and 31st December every year respectively, at the rate of and in the manner specified in the columns (3) and (4) of Part II of the Schedule.

(c) The classification of workers shall be as mentioned in Part – III of the Schedule.

SCHEDULE

PART – I

Serial Number	Categories of employees	Minimum Rates of Basic Wages per Day (In Rupees)	
		Above Ground	Below Ground
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Unskilled	350.00	437.00
2.	Semi-Skilled /Unskilled Supervisory	437.00	523.00
3.	Skilled/Clerical	523.00	610.00
4.	Highly Skilled	610.00	683.00

PART – II

Serial Number	Categories of employees	Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 271, which is the average monthly Consumer Price Index Number for industrial workers (Base year 2001=100), for the period January-June, 2016.	
		Above Ground	Below Ground
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Unskilled	1.29	1.13
2.	Semi-skilled/Unskilled-Supervisory	1.61	1.36
3.	Skilled and Clerical	1.93	1.58
4.	Highly Skilled	2.25	1.80

PART– III

CLASSIFICATION OF WORKERS

1. UNSKILLED WORKERS

1. Cleaner	2. Dresser / Dressing Mazdoor	3. Helper
4. Loader	5. Mazdoor (Male/Female)	6. Messanger (Male / Female)
7. Trammer	8. Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semi-skilled)	9. Office Peon /Peon (except in Bauxite Mines)
10. Sweeper (Male / Female)	11. Carrier	12. Number Taker
13. TrollyTriper	14. Water Carrier	15. Hole cutter
16. Earth Cutter	17. Survey Khalasi	18. Khalasi not attending to machines
19. Carrier (Stone)	20. Cartman	21 Concrete (Hand Mixer)
22. Driver (Mule, Bullock, Camel, Donkey)	23. Lampman	24. Petrol man
25. Waterman	26. Beldar/Beldar (Canteen)	27. Coolie
28. Breaker (using manual appliances)	29. Cook-helper	30 Office Boy
31. Quarry Worker	32. Jelly Maker	33. Over burden Remover
34. Waste removing mazdoor	35. Unloader	36. Excavating Labour
37. Digger	38. Butcher	39. Attender
40. Compressor Attendant	41. Lorry Helper	42. Surface loader
43. . Wood Cutter	44 Surface Mukar	45. Under Ground Mukar

and any other categories of workers by whatever name called, which are unskilled.

2. SEMI-SKILLED WORKERS/UNSKILLED SUPERVISORY

1. Bhisti	2. Assistant Driller	3. Miner
4. Butler/Cook	5. Breaker (using mechanical appliances)	6. Crech Ayah/Ayah/ Untrained Crech Attendant
7. Untrained Mate/ Mining Mate/ Mate without Competency certificate Under Metalliferous Mines Regulations, 1961	8. Oilman/Oiler	9. Chowkidar/ Watchman
10. Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)	11. Tindals	12. Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)

13. Pump Attendant (except in Gypsum, Barytes and Rock Phosphate)	14. Khalasi (bulldozer) Pump Khalasi/Dumper Khalasi Compressor Khalasi	15. Khalasi attending to Machines
16. Quarry Man	17. Quarry Operator	18. Stocker
19. Storeman	20. Thatcher	21. Thoomba Man
22. Trolley Man	23. Jamadar	24. Bearer
25. White Washer	26. Breaks Man	27. Topaz
28. Topker	29. Helper (Loco, Crane, Truck)	30. Edge Runner
31. Pack Wallers	32. Rock Wallers	33. Jack Hammer
34. Pillarman	35. Banks Man	36. Cash Guard
37. Checker	38. Dhobi (Male/Female)	39. Fireman (except in Mica Mines where it is skilled)
40. Hammer Man	41. Grinder	42. Greaser
43. Mali/Gardener	44. Points Man	45. Attendant
46. Telephone Attendant	47. Boiler Man/without certificate	48. Assistant Blaster
49. Crusher Operator	50. Lamp room Incharge/ Attendant	51. Sampler/Sampler Boy
52. Stone Cutter and Dresser	53. Dresser Grade-II	54. Sepoy
55. Meter Reader	56. Caretaker in Copper, Chromite and Graphite Mines	57. Assistant Drill Operator
58. Canteen Boy	59. Butler-cum-Cook	60. Ventilation Fan Attendant
61. Tool Sharpner	62. Picker (Male/Female)	63. Charge-room Attendant
64. Assistant Mechanic	65. Assistant Fitter	66. Mechanical Helper
67. Mail Dak Runner	68. Attendant 'C' Category	69. Laboratory Attendant
70. Labour Sirdhar	71. Halwai	72. Canteen Attendant
73. Signal Man	74. Dak Boy	75. Ward Boy
76. Laboratory Boy	77. Peon, only in Bauxite Mines	78. Senior Sweeper
79. Shearer	80. Wast Cutter	81. Gun-Man
82. Explosive Carriers	83. Guage Workers	84. Disc Workers
85. Sorter	86. Mica Cutter Grade-II	87. Chisleman
88. Fire Clay Press or drying and refining except overburden requiring earth cutting	89. Labour Dafadar	90. Mines Dafadar
91. Manual Chelly Breaker	92. Manual Blast/ Metal Breaker	

and any other categories of workers by whatever name called, which are Semi-skilled.

3. SKILLED WORKERS

1. Airwineh Haulage Operator	2. Auto-electrician	3. Painter
4. Blacksmith	5. Tailor	6. Compressor Operator
7. Blaster/Shot-firer	8. Driver	9. Head cook
10. Chargeman	11. Carpenter	12. Concrete Mixer Operator
13. Compressor Attendant	14. Air Compressor Attendant	15. Tractor Driver

16. Vehicle Driver	17. Chemist and Assistant/ Chemist	18. Sub- overseer (unqualified)
19. Driller	20. Handhole Driller	21. Drill Mechanic
22. Driver Auto	23. Electrician	24. Wirelesss Operator Asstt. Foreman
25. Foreman	26. Fitter	27. Ferry Driver
28. Issuer Loco	29. Super Foreman	30. Hoist Operator
31. IMCE Driver	32. Driver	33. Loco Driver
34. Loader Operator	35. Linesman	36. Mechanic/ Machinist
37. Mason	38. Mid Wife	39. Tinsmith
40 Supervisory Mechanic	41. Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates	42. Pump Operator/Driver
43. Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961.	44. Mistry	45. Skilled Mazdoor
46. Turner	47. Senior Mechanic	48. Pipe Fitter
49. Supervisor	50. Drafts Man	51. Wireman
52. Timber Man/Timber Mistry Elect.	53. Stone Crusher Operator	54. Crusher Operator
55. Moulder	56. Welder	57. Operator
58. Work Mistry	59. Engine Driver	60. Mining Engine Driver Grade -II
61. Engineman	62. Valveman	63. Cutter
64. Winding Engine Driver Grade - II	65. Security Guard (Unarmed) / Head Chowkidar	66. Shovel Operator
67. Limco Loader Operator	68. Surface Supervisor	69. Dozer Operator
70. Compressor Driller	71. Dumper Tractor Operator	72. Boiler Man (with Certificate)
73. Machinery Attendant	74. Air-conditions Mechanic	75. Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines
76. Power Shovel Operator	77. Power and Pump House Operator	78. Miner Grade - I
79. Tractor Operator	80. Tub Repairer	81. Lathe Mistry
82. Stationery Engine Attendant	83. Generator Operator	84. Loading Foreman
85. Diesel Mechanic	86. Ferro Printer cum-chairman	87. Haulage Operator
88. Dispensary Attendant	89. Work Sakar	90. Mica Cutter Grade -I
91. Dresser Grade -I Mica	92. Supervisory Fireman	93. Fireman only in Mines
94. Compressor Driver	95. Pump Man Driver	96. Grinder in Mica Mines
97. Sirdhar Lathe Man	98. Muccatam (with Compentency Certificate under Metalliferous MinesRegulations, 1961).	99. Geologist

and any other categories of workers by whatever name they are called, which are Skilled.

4. CLERICAL WORKERS

1. Store clerk	2. Tally Clerk	3. Store Issuer
4. Tool Keeper	5. Computer/Date Entry Operator	6. Record Keeper
7. Tracer	8. File Clerk	9. Register Keeper
10. Time Keeper	11. Clerk	12. Munshi
13. Store Attendant	14. Teller Clerk	15. Typist
16. Magazine Clerk	17. Telex or Telephone Operator	18. Hindi Translator
19. Assistant	20. Librarian	21. Assistant Magazine Clerk
22. Store Keeper		

and any other categories of workers by whatever name they are called, which are Clerical.

5. HIGHLY SKILLED WORKERS

1. Compounder	2. Overseer	3. Surveyor
4. Winding Engine Driver	5. Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)	6. Head Mistry
7. Staff Nurse with Diploma	8. Drill Operator other than Jack Hammer	9. Electrical Supervisor with Competency Certificate
10. Underground Shift Boss	11. Head Mechanic	12. Qualified and Experienced Welder
13. Machine Tool Mechanic	14. Mechanical/Plant Foreman	15. Mining Supervisor
16. Vocational Training Instructor/Teacher	17. Head Electrician	18. Accountant
19. Steno with 7 years of service	20. Store Incharge	21. Shift Incharge
22. Supervisor	23. Incharge of Watch and Ward	24. Security Guard (Armed)

and any other categories of workers by whatever name they are called, which are highly skilled.

Explanation: For the purposes of this notification, -

(a) the minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates including the basic rates, the cost of living allowance, namely, special allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities;

(b) the minimum rates of wages includes the wages for weekly day of rest;

(c) the minimum rates of wages shall apply to employees engaged by contractors also;

(d) the minimum rates of wages for disabled persons shall be the same as payable to the workers of the appropriate category;

(e) (i) "unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(ii) "semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervisory work;

(iii) "skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment;

(iv) "miner" means a worker who is directly involvedorengaged in excavation or extraction by way of digging, picking, sorting, creasing, processing and loading and other incidental works thereto in a mine; and

(v) "highly skilled work" means work which calls for a high degree of perfection and full competence in the performance of certain task acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for long years and also requires of a worker to assume full responsibility for his judgment or decision involves in the execution of these tasks;

(f) a person working or employed in or in connection with a mine is said to be working or employed "below ground" if he is working or employed,-

(i) in a shaft which has been or in the course of being sunk; or

(ii) in any excavation which extends below superjacent ground; or

(iii) in an open cast working in which the depth of the excavation measured from its highest to its lowest point exceeds six metres;

(g) where the existing rates of wages of any employee, based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified, the higher rates shall be protected and treated as the minimum rates of wages for purpose of this notification;

(h) where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for the employees of the aforesaid Employments in relation to which the State Government is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall in respect of these areas, be deemed to be the minimum rates of wages payable under this notification;

(i) men, women and transgender employees shall be entitled for the same rates of wages for the same work or works of a similar nature; and

(j). the minimum rates of wages and Variable Dearness Allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).

[F. No. S-32017/1/2016-WC (MW)]

Dr. D. CHAUDHURI, Dy. Director General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

का.आ. 188(अ).— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा यथा अपेक्षित "सड़कों या रनवेज़ या निर्माण कार्यों में विनिर्माण या रखरखाव जिनके अंतर्गत भूमिगत विद्युत, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, टेलिफोन, टेलिग्राफ और ओवरसीज़ संचार केबल और समान अन्य भूमिगत केबल कार्य, विद्युत लाइन, जल आपूर्ति लाइन और सीवेज़ पाइप लाइन हैं" के नियोजन में लगे हुए, अनुसूची में वर्णित कर्मचारियों के वर्गों को संदेय दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए प्रारूप प्रस्ताव, उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ और उस तारीख से जब उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट भारत के राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई गई थी, दो मास की अवधि के भीतर उनसे आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2834(अ), तारीख 1 सितंबर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 सितंबर, 2016 को उपलब्ध कराई गई थी;

और उक्त प्रस्ताव पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड(i) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1285(अ), तारीख 20 मई, 2009 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् उपरोक्त नियोजन में लगे हुए कर्मचारियों को संदेय इससे उपाबध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है।

(1) मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।

(2) मज़दूरी की संशोधित न्यूनतम दरें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –

(क) मजदूरी की आधारभूत दरें जैसी इसमें इसके नीचे वर्णित अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (2) (3) और (4) में दी गई हैं और स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट उपरोक्त नियोजन के कर्मचारियों के वर्गों को संदेय है ; और

(ख) अनुसूची के भाग II के स्तंभ (2), (3) और (4) में कोई विशेष भत्ता (जिसे इसे इसके पश्चात् परिवर्तनीय महंगाई भत्ता कहा गया है) और स्तंभ (1) में वर्णित कर्मचारियों को संदेय है और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा प्रतिवर्ष 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले प्रत्येक छह मास के अंतराल तक प्रतिवर्ष क्रमश: 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकार (आधार 2001-100) के लिए औसत उपभोगता मूल्य सूचकांक के आधार पर, उक्त अनुसूची के भाग II के स्तंभ (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट दर पर और रीति में समायोजित किया जाएगा।

अनुसूची

भाग 1 : मजदूरी की आधारभूत न्यूनतम दरें

कामगारों की श्रेणी	दैनिक न्यूनतम मजदूरी दरें (रुपये में)		
(1)	(2)	(3)	(4)
	क्षेत्र (क)	क्षेत्र (ख)	क्षेत्र (ग)
अकुशल:			
बजरी फैलाने वाला, बेलदार, बीटर महिला, बैलवुमन, चैनमैन, नाविक, बाल्टी वाला, वाहक (पत्थर), वाहक (पानी), गाड़ीवाहक, केयरटेकर (पुल), क्लीनर (क्रेन, ट्रैक, राखगर्त के लिए सिंडर), चौकीदार, कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला), दफादार, ड्राइवर (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर), झंडीवाला, झंडीवाला (ब्लास्ट ट्रेन) गेट मैन, गैंगमैन, गेटिंगमैन (स्थायी पथ) हैंडलमेन, जम्पर मैन, कामिन (महिला कार्य), खलास, पुल, विद्युत, मैरीन, मोपलाह, भंडार, स्टीम रोड, शेयर, रोलर सर्वे, श्रमिक (गार्डन), मजदूर, होल कटर, लारी प्रशिक्षु, पेट्रोलमैन, चपरासी, तलाशीकर्ता, सिगनलमैन, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग), स्वीपर, टाल बाय, टाइल टर्नर, ट्राली मैन, वक्स कन्ट्रोलर, वाल्वमैन, वाचमैन, सफेदी वाला, वुडरमैन, वुडरवुमैन, बोरीमैन, कोलमैन, कंडेंसर, परिचर, घास काटने वाला, मुच्छर जमादार, कन्डेन्सर परिचर, शंटर और अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं।	523	437	350
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय:			
बेलचेवाला, भिश्ती, भिश्ती (मुशक सहित), नाववाला (प्रधान), भंजक, भंजक (पत्थर, चट्टान, चट्टान पत्थर, प्रस्तर धातु, बेंत बुनने वाला, चैनमैन (प्रधान), चारपाई कसने वाला, जांच पड़ताल कर्ता, क्रेकर, दफ्तरी, डालीमैन, सहायक, ड्रिलर, चालक (स्किन), उत्खनक, फैरोमैन, फायरमैन, फायरमैन (ईंटों का भट्टा, स्टीम रोड रोलर) गेटकीपर, घरामी थेचर, शीशेवाला, ग्रेटर, ग्रीसर-सह-फायरमैन, ग्राइंडर हथोड़े वाला, सहायक (कारीगर), सहायक (आराकश), जमादार, की मैन, खलासी (प्रधान सर्वेक्षक, रिवटर्स मोपलाह गैंग, पर्यवेक्षी), श्रमिक (चट्टानकर्तन), लश्कर, माली, (प्रधान), मैट, मैट (लोहार, सड़क, काष्ठकार), इंजिन चालक और/या फीडर, फिटर, गैंग, खलासी, मजदूर राज, स्थायी पथ, पम्प ड्राइवर, टर्नर), मजदूर (भारी वजन), चार्जमैन, मिस्त्री (प्रधान), मुकादम, रात्रिगार्ड, रनर (पोस्ट डाक), तेलवाला, खदानकार, खदान प्रचालक, स्टोन मैन, भंडार वाला, थेचर, भंडार वाले और बायलर मैन, थुम्बामैन (स्पेडकर्मी), टिंडलस, ट्रालीमैन (प्रधान, मोटर), फिटर (सहायक, अर्द्ध कुशल), जमादार (अर्द्धकुशल) मेट (पत्थर), पम्प अटेंडेंट, वाहक, ब्रेकमैन, क्रोल्डरमैन, रसोइया, डांडी, फराश, हैक्सामैन, सहायक (लोको, क्रेन/ट्रक) कसाब, खलासी (संरचना), प्रयोगशाला परिचर, मांझी (नाववाला), मसालची पी.एम.मेट्स, प्वाइंटस मैन सेनकम्मी, टोपाज, तोपकार (बड़े पत्थर तोड़ने वाला), ट्राली जमादार, विंचमैन, हाजिरी लगाने वाला, सहायक वायर मैन और अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं।	579	494	410
कुशल			
सहायक मिस्त्री, आर्मेचर वाइंडर श्रेणी ।। और ।।।, भण्डारी, लोहार, लोहार (चयन श्रेणी, ग्रेड-।।, ।।। वर्ग ।। और ।।।) बायलरमैन, बायरलरमैन श्रेणी ।।, ।।।, बायलर फोरमैन श्रेणी ।।, कार्य (सहायक), ईंट बिछाने वाला, ईंट बिछानेवाला (चयन श्रेणी ।।), ब्लास्टर, चौकीदार(प्रधान), सुरक्षा कर्मी (शस्त्रों के बिना), बढ़ई, बढ़ई (चयन ग्रेड, ग्रेड ।। व ।।।, वर्ग । व ।।।) सहायक बी.आई.एम.रोड), केबिनेट बनाने वाला, केनमैन, स्लोटैक्स, कटर बनाने वाला चार्जमैन, श्रेणी ।। और ।।।, काष्ठकार (साधारण), जांच-पड़तालकर्ता (कनिष्ठ), चिक बनाने वाला, चिकवाला (कनिष्ठ) कंक्रीट मिश्रण मिश्रक, कंक्रीट मिश्रक प्रचालक, मोची, कोर मेकर, चालक, चालक मोटर वाहन, मोटर वाहन चयन श्रेणी, मोटर लारी, मोटर लारी श्रेणी ।।, लारी गेड।।, डीजल इंजिन, डीजल इंजन श्रेणी ।।, यांत्रिक रोड रोलर, आई.सी और सीमेन्ट मिश्रक आदि रोड	637	579	494

रोलर, रोड रोलर चालक श्रेणी ॥ चालक (इंजन स्थिर, स्टोन क्रशर, ट्रैक्टर/बुलडोजर, स्टीम रोड रोलर, जल पम्प, यांत्रिक सहायक, रोड रोलर, यांत्रिक, स्टीम, क्रेन, बुल डोजर सहित ट्रैक्टर यांत्रिक, परिवहन, इंजन स्थिर और रोड रोलर, बायलर परिचर, इंजन प्रचालक (स्टोन क्रेशर यांत्रिक), डिस्टैम्पुरर, बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री (श्रेणी ॥, वर्ग ॥, और वर्ग ॥।), फिटर, फिटर (चयन श्रेणी, श्रेणी ॥, व ॥।) (वर्ग ॥ व ॥।, सहायक, पाइप, वर्ग ॥, लाइन वर्ग ॥, पाइपलाइन एंडिंग बार्स फॉर री-इंफोर्समेंट कम -मैकेनिक, यांत्रिक और-नलसाज), घरामी (प्रधान), ग्लेजियर, विस्फोटन के लिए छिद्र ड्रिलर, जॉयनर, जॉयनर (केबल, केबल श्रेणी, ॥) लाइनमैन (ग्रेड ॥, ॥।, उच्च दाब/कम दाब) राजमिस्त्री, राज मिस्त्री (चयन श्रेणी, श्रेणी ॥, ॥।, और वर्ग ख मिस्त्री), स्टोन, (स्टोन वर्ग ॥, ईंट का काम, पत्थर का कार्य), ईंट बिछाने वाला, टाइल फ्लोरिंग, बी.आई.एम., मुक्कदम (प्रधान), पत्थर कर्तन, साधारण मिस्त्री, मैकेनिक, यांत्रिक (वर्ग ॥, वातानुकूलन, वातानुकूलन, श्रेणी ॥, डीजल श्रेणी ॥, रोड रोलर श्रेणी ॥, सहायक, रेडियो) राजमिस्त्री (घरमी), मिस्त्री, मिस्त्री श्रेणी ॥, वातानुकूलन श्रेणी ॥, स्थायी पथ, सर्वेक्षण, संतराश कार्य) राजमिस्त्री वर्ग क, मोल्डर, मोल्डर (ईंट, टाइल), रंगपेन्टर, रंगपेन्टर (चयन श्रेणी, ग्रेड ॥, और ॥।, वर्ग ॥, सहायक लाटर और पॉलिशर, पॉलिशर रफ) प्लास्टरकर्त्ता (राजमिस्त्री श्रेणी ॥), नलसाज, नलसाज (चयन श्रेणी, वर्ग ॥ सहायक लॉटर और पॉलिशर पॉलिशर, रफ) प्लास्टरकर्ता, प्लास्टरकर्ता (राजमिस्त्री ग्रेड ॥), नलसाज, नलसाज (चयन ग्रेड, वर्ग-॥), सहायक वरिष्ठ, कनिष्ठ, मिस्त्री, श्रेणी ॥) नलसाज मिस्त्री, नलसाज-सह-फिटर, पॉलिशगर पॉलिशगर (फर्श), पम्प चालक, पम्प चालक (चयन श्रेणी), श्रेणी ॥ और ॥।, वर्ग, ॥), पंपचालक चयन श्रेणी, पी ई, चालक, पंपवाला, पम्प वाला,(सहायक) नलसाज पॉलिशकर (स्प्रे सहित) श्रेणी ॥, रतनमैन, रिविट कटर (सहायक) रिविटर, रिविटर (कटर), सड़क निरीक्षक श्रेणी ॥, रेलवे प्लेट लैयर, रोड बेन्डर, आराकश, आराकश (चयन श्रेणी वर्ग ॥), सरंग, संरग पाइल ड्राइविंग पैन्टूम्स बायलर सहित, शेपमैन, पारी प्रभारी, स्प्रे मैन, स्प्रे मैन (रोड), स्टोनकटर, स्टोनकटर (चयन ग्रेड, ग्रेड ॥, वर्ग ॥) स्टोन चिसलर, स्टोन चिसलर (वर्ग ॥), पत्थर विस्फोटकर्ता, उप- ओवरसियर (अनर्हक) सर्वेक्षक, सर्वेक्षक (सहायक), दर्जी, दर्जी (अपहोलस्ट्री)] ट्रांस्प्रेयर तारमैन, लाइनमैन, टाइलर वर्ग ॥, दीवार (फर्श, छते), टाइलर (चयन श्रेणी), टीनकार, टीनकार (चयन श्रेणी, श्रेणी ॥ और ॥।, वर्ग ॥) ठठेरा, ट्रेलर्स, टर्नर, सोफासाज, सोफासाज (श्रेणी ॥ और ॥।) रंगसाज स्प्रे (वर्ग ॥), लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला चयन श्रेणी, लकड़ी काटने वाला श्रेणी ॥, वर्क सिरकार, झलाईगर, गैस झलाईगर, झलाईगर, (वर्ग ॥), पुल कार्य) कूप निमज्जक, सफेदी वाला, सफेदीवाला (चयन श्रेणी वर्ग ॥), वायरमैन, वायरमैन (श्रेणी, ॥ और ॥।, यांत्रिक, विद्युत) वाइट वाशिंग एंड कलर वाशिंग मैन, वातिक औजार प्रचालक, प्रचालक (फिटर), बोरमैन, बेधक, छिलाईगार, छिलाईगार-सह-पिसाईगार, रसोइया (प्रधान) ड्रिलर, ड्रिलर (कूप वेधन), चालक (लोको/ट्रक), बिजली मिस्त्री (सहायक), यांत्रिक (नलकूप), मिस्त्री (स्टेल, ट्यूब-वेल, टेलीफोन), मीटर रीडर, मौसम प्रेक्षक, नावधानी प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प, शेल्प, संपीड़क, ग्रेन, डौरिक, डीजल इंजन, डोजर, ड्रेगलिंग, ड्रिल डम्पर, उत्खनक, फोर्क, लिप्ट जनित्र, ग्रेडर, जैक हैम्पर और पेमेन्ट ब्रेकर लोडर, पम्प, पाईल चालन, स्क्रेपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवैल, ट्रैक्टर, वाइब्रेटर, वेटबैचर, रेल गार्ड, रिपेयरर (बैटरी), शार्पर/स्लॉरट, स्प्रेयर (एशालट) स्टेशन मास्टर, सर्वेक्षक (सिल्ट), ट्रेड्समैन, ट्रेन परीक्षक, टर्नर/मिलर, टायर बल्केनाइजर, कुशल प्रकृति की कोई अन्य श्रेणियां चाहे उनके नाम कुछ भी हों।			
लिपिकीय			
एम.सी. लिपिक, मुंशी (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), भंडार लिपिक (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), भंडार जारीकर्ता, भंडार रक्षक, भंडार रक्षक वर्ग ! और !! (मैट्रिकुलेट), मिलान लिपिक, समय पाल, समयपाल, (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), बुक कीपर, कार्य मुंशी, कार्य	637	579	494

मुंशी, (अधीनस्थ) लेखालिपिक, लिपिक, संगणक/ डाटा एंट्री प्रचालक, टेलीफोन प्रचालक, टंकक, अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए जो कि लिपिकीय प्रकृति के हों।			
अत्यधिक कुशल			
आर्मेचर वाईंडर श्रेणी I, लौहकार श्रेणीIऔर वर्गI, बॉयलरमेन श्रेणी I, बॉयलरमैन फोरमेन श्रेणी I, ईंट बिछाने वाला वर्ग I, केबल संयोजक श्रेणीI, काष्ठकार श्रेणीI, और वर्गI, सेलो कटर और सजावटकार, चार्जमैन वर्ग I, जांच पड़तालकर्ता (ज्येष्ठ), चालक लारी श्रेणी ग्रेड-I, मोटर लारी श्रेणीI, मोटर वाहन वर्गIऔर डीजल इंजिन श्रेणी I, रोडरोलर श्रेणी I, पम्प वर्ग विद्युतकर्मी श्रेणीIऔर वर्ग I/श्रेणीI, फिटर (श्रेणी I और वर्ग I), पाइप वर्गI(प्रधान), फ़ोरमैन, (सहायक) लाइनमैन श्रेणी I, राज (कुशल श्रेणी I वर्ग I), मास्ट रिंग, मैकेनिक वर्गIऔर वर्ग II, मैकेनिक (डीजल) श्रेणी I और रोडरोलर श्रेणी I, वातानुकूलन श्रेणी I/वर्ग I/मिस्त्री श्रेणी I, मिस्त्री (वातानुकूलन श्रेणी I), ओवरसियर, ओवर सियर (ज्येष्ठ और कनिष्ठ) रंगसाज श्रेणीI, वर्गI, स्प्रे), प्लास्टरकर्ता (राज) वर्ग I, नलसाज (प्रधान वर्गI) मिस्त्री श्रेणीI, पॉलिशकर्ता (स्प्रे सहित) वर्गI, सड़क निरीक्षक वर्गI, आराकश श्रेणीI, स्टोन कटर वर्गI, स्टोन चिलनर श्रेणीI, स्टोन राजमिस्त्री श्रेणीI, उप ओवरसियर (योग्यता प्राप्त), टाइलर वर्गI, टीनकार श्रेणीI, वर्गI, सोफासाज श्रेणीI, वार्निशकार वर्गI, वेल्डर-सह- फिटर और वातानुकूलन, मैकेनिक झलाईकार (गैस) वर्गI, सफेदी वाला वर्गI, वायरमैन श्रेणीI, वर्गI, काष्ठ काटनेवाला वर्गI, घिसाईकार (औजार) श्रेणीI, प्रचालक (बैचिंग प्लांट) श्रेणीI, क्लैम्प शैल श्रेणीI, काम्प्रैसर श्रेणीI, क्रैन श्रेणीI, डीजल इंजिन श्रेणीI, डोजर ग्रेडI, ड्रेगलाइन श्रेणीI, ड्रिल श्रेणीI, डम्पर श्रेणीI, उत्खनक श्रेणीI, फोर्क लिफ्ट श्रेणीI, जनित्र श्रेणीI, ग्रेडर श्रेणीI, लीडर श्रेणीI, पाइल ड्राइविंग श्रेणीI, पम्प श्रेणी, स्क्रेपर श्रेणीI, स्क्रीनिंग संयंत्र श्रेणीI,पंप श्रेणी 1, स्क्रेपर श्रेणी1, स्क्रीनिंग I श्रेणी 1, शॉवल श्रेणी 1, शॉवल और ड्रेगलाइन, ट्रैक्टर श्रेणीI, वाइब्रेटर श्रेणी I, रिगर श्रेणी I, रिगर श्रेणी II, चार्पर/स्लेटर श्रेणी I, शॉवल और ड्रेगलाइन, ट्रेक्टर श्रेणी I, ट्रेड्समैन वर्ग I, टर्नर/मिलर श्रेणी I, टायर वॉलकेनाइजर श्रेणीI, कार्य (सहायक) श्रेणी I, सुरक्षागार्ड (सशस्त्र), कोई अन्य प्रवर्ग जो अत्यधिक कुशल प्रवृत्ति के हों, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जायें।	693	637	579

भाग -II

कामगारों की श्रेणियाँ	परिवर्ती मंहगाई भत्ते की दर, जो 271 से अधिक प्रत्येक अंक के उछाल या गिरावट के लिए जनवरी-जून, 2016 की अवधि के औद्योगिक कामगारों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष (2001=100) का औसत है।		
	क्षेत्र 'क'	क्षेत्र 'ख'	क्षेत्र 'ग'
(1)	(2)	(3)	(4)
1. अकुशल	1.93	1.61	1.29
2. अर्ध-कुशल/अकुशल-पर्यवेक्षी	2.14	1.82	1.51
3. कुशल व लिपिकीय	2.35	2.14	1.82
4. अत्यधिक कुशल	2.56	2.35	2.14

स्पष्टीकरण - अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,

1 (क) क्षेत्र "क" और क्षेत्र "ख" में, इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा विनिर्दिष्ट क्रमश: भी क्षेत्र समाविष्ट होगें तथा नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड या स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति से पंद्रह किलोमीटर तक की परिधि के सभी स्थान शामिल होंगे और क्षेत्र "ग" में उपाबंध में उल्लेख न किए गए ऐसे सभी स्थान शामिल होंगे जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए अथवा श्रेणी में उन्नयन किए गए स्थानों को भी इस अधिसूचना उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा ;

(ग) "ग" वर्ग श्रेणी में जहां न्यूनतम मजदूरी क्षेत्रवार आधार पर नियत की गई है और जहां केन्द्रीय सरकार ने शीतकालीन भत्ता या पर्वतीय भत्ता या किसी अन्य विशेष भत्ते का संदाय मंजूर किया है, सड़कों/रनवे के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं जिसमें भूमिगत विद्युत, वायरलैस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और ऊपरी संचार केबलों को डालने या भूमिगत केबल डालने के कार्य, विद्युत लाइनें, जल आपूर्ति लाइनें और सीवरेज लाइन शामिल है, के अंतर्गत ऐसे ही कार्य में नियोजित कर्मचारियों को, उन्हें अधिसूचना द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त इस प्रकार नियत न्यूनतम मजदूरी के 10 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा :

परंतु ऐसे स्थानों में जो समुद्र तल से 6000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, वहां 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी संदत्त की जाएगी।

(घ) गगनचुम्बी इमारतों अर्थात् तीस फुट अथवा इससे अधिक ऊँची इमारतों में, एक दिन में एक घंटे के लिए भी नियोजित किये गये कर्मकारों को समुचित श्रेणी हेतु न्यूनतम मजदूरी से बीस प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।

(ङ) सुरंग में कार्य करने वाले कर्मकारों को इस अधिसूचना के अधीन समुचित श्रेणी के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 20 प्रतिशत और भुगतान किया जाएगा।

(च) (i) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी साधारण क्रियाएं शामिल हैं जिनके लिए कार्य के संबंध में मामूली अथवा कोई कौशल अथवा अनुभव अपेक्षित न हो;

(ii) "अर्द्ध-कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या दक्षता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है तथा इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य शामिल है;

(iii) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से या शिक्षु के रूप में किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या दक्षता और काम जिसके लिए नेतृत्व और विनिश्चय अपेक्षित है

(iv) "अत्यधिक कुशल कार्य" से ऐसा कार्य जिनमें लिपिकीय कार्य शामिल है, अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबत किए जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है;

(छ) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों, जिनके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम हैं वहां राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के संबंध में नियत की गयी मजदूरी दरें इस अधिसूचना के अंतर्गत देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समझी जायेंगी;

(ज) जदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए देय मजदूरी भी शामिल है।

(झ) इस अधिसूचना के अंतर्गत नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं;

(ञ) विकलांग कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित श्रेणी के कर्मकारों को देय दरों के समान ही होंगी;

(ट) पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान दर पर मजदूरी प्राप्त करने के हकदार होंगे;

(ठ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अंतर्गत प्रवर्तनीय मजदूरी की न्यूनतम दरों में न्यूनतम मजदूरी दरें और विशेष भत्ता दोनों शामिल हैं।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

डॉ. डी. चौधरी, उप महानिदेशक

उपाबंध

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र – "अ"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबादकाम्पलैक्स	(एम.कोरपरेशन)
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाजियाबाद	(यूए)
दिल्ली	(यूए)	चैन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत मुम्बई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकन्दराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गांव	(एम.कोरपरेशन)
नवीमुम्बई	(यूए)	पूणे	(यूए)		

क्षेत्र –"आ"

आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धरवाड	(एम.कोरपरेशन)	पुद्दुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(एम.कोरपरेशन)	जयपुर	(एम.कोरपरेशन)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर- कैंट	(यूए)	साहारणपुर	(एम.कोरपरेशन)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सलेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	संगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिल्लिगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	शोलापुर	(एम.कोरपरेशन)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(एम.कोरपरेशन)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरूवनन्तपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	काल्लम	(यूए)	तिरूसूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(एम.कोरपरेशन)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझीकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(एम.कोरपरेशन)	उज्जैन	(एम.कोरपरेशन)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मालाप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वासाई-विरार सिटी	(एम.कोरपरेशन)
दुर्ग-भिलाईनगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
ईरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापट्नम	(एम.कोरपरेशन)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(एम.कोरपरेशन)	वारंगल	(यूए)

गोवा		मेसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नानडेड वाघाला	(एम.कोरपरेशन)		
बृहत विशाखापत्तनम	(एम.कोरपरेशन)	नासिक	(यूए)		
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुन्टूर	(यूए)	पंचकूला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 -- क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है किन्तु जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्र अभिप्रेत है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2017

S.O. 188(E).—Whereas the draft proposal to revise the minimum rates of wages per day payable to the Schedule mentioned categories of employees engaged in the employment of "Construction or Maintenance of Roads or Runways or in Building Operations including laying down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and similar other underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage Pipe Lines" was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2834 (E), dated the 1st September, 2016 for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd September, 2016;

AND whereas objections and suggestions received on the said proposal have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the said Act, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1285(E), dated the 20th May, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Advisory Board hereby revises the minimum rates of wages per day, as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees engaged in aforesaid employment.

(1). The revised minimum rates of wages, shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(2) The revised minimum rates of wages shall consist of,–

(a) basic rates of wages as set out in columns (2), (3) and (4) of Part I of the Schedule mentioned hereunder and payable to the categories of employees in the aforesaid employment as specified in column (1) thereof; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) at the rate as set out in columns (2), (3) and (4) of Part II of the said Schedule and payable to the employees mentioned in column (1) thereof and the Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of every six months commencing on 1st October and 1st April of every year on the basis of the average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 2001=100) for the preceding period of six months ending on 30th June and 31st December every year respectively, at the rate of and in the manner specified in the columns (2), (3) and (4) of Part II of the said Schedule.

SCHEDULE

Part –I: Basic Minimum Rates Wages

Category of Worker	Minimum Rates of Basic wages per day (in Rupees)		
(1)	(2)	(3)	(4)
	Area (A)	Area (B)	Area (C)
Unskilled Bajri Spreader, Beldar, Beater Women, Bell-Woman, Chain Man, Boat Man, Bucket Man, Carrier (Stone), Carrier (Water), Cartman, Caretaker (Bridge), Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit), Chowkidar, Concrete (Hand Mixer), Daffadar, Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule), Flag Man, Flagman (Blast Train), Gate Man, Gangmen,Gatingman (Permanent Way), Handle Man, Jumper Man, Kamin (Female Work), Khalas, Bridge, Electrical, Marine, Moplah, Store, Steam Road, Share, Roller Survey, labourer (Garden), Mazdoor, Hole Cutter, Lorry Trainees, Petrolman, Peon, Searcher, Signal man, Strikers, Striker (Moplah gang), Sweeper, Tall Boy, Tile Turner, Trolly man, Vaks Controller, Valveman, Watchman, White Washer, Wooderman, Wooder Woman, Borryman, Coalman, Condenser, Attendant, Grass Cutter, Muchhers Jamadars, Condenser Attendant, Shunters, and any other categories by whatever name called, which are of an unskilled nature.	523.00	437.00	350.00
Semi-skilled / Unskilled Supervisory Belchawala, Bhisti, Bhisti (with Mushk), Boatman (head), Breaker, Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal, Canweaver, Chain-man (Head), Charpoy-Stringer, Checker, Cracker, Daftri, Dollyman, Assistant, Driller, Driver (Skin), Excavator, Ferroman, Fireman, Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller), Gate Keeper, Gharami Thatcher, Classman, Grater, Greaser-cum-Fireman, Grinder Hammerman, Helper (Artisan), Helper (Sawyer), Jamadar, Keyman, Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory), Labourer (Rock-Cutting), Lascar, Mali (Head), Mate, Mate (Blacksmith, Road, Carpenter), Engine Driver and/or Feeder, Fitter, Gang, Khalasi, Mazdoor Mason, Permanent Way, Pump-Driver, Turner), Mazdoor (Heavy-weight), Charge-man, Mistri (Head, Muccadam, Night-guard, Runner (Post dak), Oilman, Quarry man, Quarry Operator, Stoneman, Stocker, Thatcher, Stockers and Boilerman, Thoombaman (Spade worker), Tindals, Trollyman (Head Motor), Fitter (Assistant Semi-Skilled), Jamadar, (Semi-skilled), Mate (Stone), Pump Attendant, Bearer, Breakman, Crowlder Man, Cook, Dandee, Frash, Hacksaw man, Helper (locco-Crane/Truck), Kasab, Khalasi (Structural), Laboratory Boy, Manjhee (Boatman), Masalchi P.M. Mates, PointsmanSencummy, Topas, Topkar (Big Stone Breaker), TrollyJamadar, Winchman, Attendance-keeper, Assistant Wireman and any other categories by whatever name called, which are of semi-skilled nature	579.00	494.00	410.00
Skilled Assistant Mistry, Armature Winder Grade-II and III, Bhandari, Blacksmith, Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III) Boilerman, Boilerman Grade II and III, Boiler Foreman Grade II, Work (Assistant), Brick Layer, Bricklayer (Selection Grade, Class II), Blaster, Chowkidar (Head), Security Guard (without arms), Carpenter, Carpenter (Selection Grade, Grade II and III, Class I and III Assistant, B.I.M. Road, Cabinet Maker,Caneman, Celotex, Cutter Maker Chargeman, Class II and Class III, Carpenter Ordinary), Checkder (Junior), Chick Maker, Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer, Concrete Mixure Operator, Cobbler, Coremaker, Driver, Driver Motor Vehicle, Motor Vehicle Selection Grade, Motor Lorry, Motor-Lorry Grade II, Lorry Grade II, Diesel Engine, Diesel Engine Grade II, Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer	637.00	579.00	494.00

etc., Road Roller, Road Roller Driver Grade II, Driver (Engine Static, Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller, Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane, Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant, Engine Operator (Stone Cursher Mechanical) Distempher, Electrician, Electrician (Grade II, Class II and Class III), Fitter, Fitter (Selection Grade, Grade II and III) class II and III Assistant, Pipe class II, Pipe Line ending Bars for reinforcement Cum-mechanic, Mechanic and Plumber), Gharami (Head), Glazier, Hole Drillar for Blasting, Joiner, Joiner (Cable, Cable Grade II), Lineman (Grade II,III, High Tension/Low Tension), Mason, Mason (Selection Grade, Grade II, III and Class B Mistry), Stone (Stone Class II, Brick Work, Stone work), Brick-layer, Tile Flooring, B.I.M., Muccadam (Head), Stone cutting, Ordinary Machanis, Mechanic, Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II, Diesel Grade II, Road Roller Grade II, Assistant, Radio), Manson (Gharami), Mistry, Mistry Grade II, Air conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works), Mason Class A, Moulder, Moulder (Brick, Tile), Painter, Painter (Selection Grade, Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher, Rough), Plasterer, Plasterer (Mason Grade II), Plumber, Plumber (Selection Grade, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Rough), Plasterer, Plasterer (Mason Grade II), Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II), Plumbing Mistry, Plumber-cum-Fitter, Polisher, Polisher (Floor), Pump Driver, Pump Driver (Selection Grade), Grade II and III, Class II), Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver, Pumpman, Pumpman (Assistant), Plumber, Polisher (with spray) Grade II, Ratan Man, Rivet Cutter (Assistant) Rivetter, Rivetter (Cutter), Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer, Rod Bender, Sawyer, Sawyer (Selection Grade Class II) Serang, Serangpile Driving Pantooms with Boiler, Shapesman, Shift-incharge, Sprayman, Sprayman (Roads), Stone Cutter, Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II), Stone Chisler, Stone Chisler (Class II), Stone Blasterer, Sub-Overseer (Unqualified), Surveyors, Surveyors (Assistant), Tailor, Tailor (Upholstry), Transprayer, Tar man, Line Man, Tiler Class II, Wall (Floor, Roof), Tiler (Selection Grade), Tin-Smith, Tin Smith (Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker, Trailors, Turner, Upholsterer, Upholsterer (Grade II and III), Painter Spray (Class II), Wood Cutter, Wood Cutter Section Grade, Wood Cutter Class II, Work Sircar, Welder, Welder gas, Welder (Class II, Bridge work), Well Sinker, White Washer, White Washer (Selection Grade, Class II), Wireman, Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical), White Washing and Colour Washing Man, Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter), Boreman, Borer, Chipper, Chipper-Cum-Grinder, Cook (Head), Driller, Driller (Well Boring), Driver (Loco/Truck), Electrician (Assistant), Mechanic (Tube-Well), MistryStell, Tube-Well, Telephone), Meter Reader, Meterorogical Observer, Navghani, Operaor (Batching Plant, Cinema Project, Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, JackHammer and Payment breaker Loader, Pump, Pile Driving, Scrapper, Screening Plant, Shoval, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Railway Guards, Repairer (Battery), Sharper/Slotter, Sprayer (Ashalt) Station Master, Surveyor (Silt), Trades-Man, Train Examiner, Turner/Miller, TyreVulcaniser and any other categories by whatever name called, which are of a skilled nature.			
Clerical M. C. Clerk, Munshi (Matriculate, Non-matriculate), Store Clerk (Matriculate Non-matriculate), Store Issuer, Store Keeper, Store Keeper Grade I, Grade II, (Matriculate), Tally Clerk, Time Keeper, Time Keeper (Matriculate Non-Matriculate), Book Keeper, Work	**637.00**	**579.00**	**494.00**

Munshi, Work Munshi (Subordinate), Accounts Clerk, Clerks, Computer/Data Entry Operator, Telephone Operator, Typist, and any other categories by whatever name called which are of a clerical nature.			
Highly Skilled Armature Winder Grade I, Blacksmith Grade I and Class I, Boilerman Grade I, Boilerman Foreman Grade I, Brick Layer class I, Cable Joiner Grade I, Carpenter grade I and Class I, Celo Cutter and Decorator, Chargeman Class I, Checker (Sr) Driver Lorry Grade I, Motor Lorry Grade I, Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I, Road Roller Grade I, Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I, Fitter (Grade I, Class I), Pipe Class I (Head), Foreman (Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I), Mast Rig, Mechanic Class I and Class II, Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I, Airconditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I, Mistry (Airconditioning Grade I), Overseer, Overseer (Senior and Junior), Painter (Grade I, Class I, Spray) Plasterer (Mason) Class I, Plumber (Head, class I), Mistry Grade I, Polisher (with spray Grade I, Road Inspector Grade I, Sawyer Class I, Stone Cutter Class I, Stone Cutter Grade I, Stone Chisler Class I, Stone Mason Class I, Sub-Overseer (Qualified), Tiler Class I, Tinsmith Grade I and Class I, Upholsterer Grade I, Varnisher Class I, Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic, Welder (Gas) Class I, White Washer Class I, Wireman Grade I, Class I, Wood Cutter Class I, Grinder (Tool) Grade I, Operator (Batching Plant Grade I), Clamp Shell Grade I, Compressor Grade I, Crane Grade I, Diesel Engine Grade I, Dozer Grade I, Dragline Grade I, Drill Grade I, Dumper Grade I, Excavator Grade I, Fork Lift Grade I, Generator Grade I, Grader Grade I, Leader Grade I, Pile Driving Grade I, Pump Grade, Scrapper Grade I, Screening Plant Grade I, Pump Grade I, Scrapper Grade I, Screening Plant Grade I, Shovel Grade I, Shovel and Dragline, Tractor Grade I, Vibrator Grade I, Rigger Grade I, Rigger Grade II, Charper/Sletter Grade I, Shovel and Dragline Tractor Grade I, Tradesman Class I, Turner/Miller Grade I, Tyre vulcanser Grade I, Work (Assistant) Grade I, Security Guards (with arms)and any other categories by whatever name called, which are of a highly skilled nature.	**693.00**	**637.00**	**579.00**

PART-II

Categories of Workers	Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 271, which is the average monthly Consumer Price Index Number for industrial workers (Base year 2001=100), for the period January-June, 2016.		
	Area 'A'	Area 'B'	Area 'C'
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Unskilled	1.93	1.61	1.29
2. Semi-skilled/ Unskilled-Supervisory	2.14	1.82	1.51
3. Skilled and Clerical	2.35	2.14	1.82
4. Highly Skilled	2.56	2.35	2.14

Explanation: For the purposes of this notification,-

(a) Area"A" and Area "B" shall respectively comprise of all the places as specified in the Annexure to this notification and include all places within a distance of fifteen kilometres from the periphery of Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place, and Area "C" shall comprise of all the other places not mentioned in the Annexure to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.

(b) the places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purposes of payment of House Rent Allowance to Central Government employees shall be taken to be added from such dates for the purposes of classification specified in the Annexure to this notification;

(c) employees employed in the employments of construction or maintenance of roads or runways or building operation including laying down underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and over communication Cables and similar other under Cabling work, Electric lines, Water supply lines and sewerage lines in 'C' class areas where the minimum rates of wages have been fixed on area-wise basis and where the Central Government has sanctioned payment of winter allowance or hill allowance or any other special allowance shall be paid in addition to the minimum rates of wages fixed by the notification, an amount equal to ten per cent. of the minimum rates of wages so fixed;

Provided that ten per cent.extra wages shall be paid in places, which are at a height of over 6,000 feet, above sea level.

(d) workers employed on high rise structures, that is, on or above thirty feet height, even for one hour in a day shall be paid twenty percent extra wages of the minimum wages so fixed for the appropriate category;

(e) workers employed on tunnel working shall be paid twenty percent extra of the minimum wages fixed under this notification for the appropriate category;

(f) (i) **"unskilled work"** means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(ii) **"semi-skilled work"** means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and include unskilled supervisory work;

(iii) **"skilled work"** means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(iv) **"highly skilled work"** means work which calls for a degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks including clerical work acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for certain reasonable period and also requires of an worker to assume full responsibility for the judgement or decision involved in the execution of the tasks;

(g) where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees of the aforesaid employments in relation to which the State Government is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall in respect of these areas, be deemed to be the minimum rates of wages payable under this notification;

(h) the minimum rates of wages include the wages for weekly day of rest;

(i) the minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also;

(j) the minimum rates of wages payable to disabled employees shall be the same as payable to workers of the appropriate category;

(k) men, women and transgender employees shall be entitled for the same rates of wages for the same work or work of similar nature; and

(l) minimum rates of wages and special allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).

[F. No. S-32017/1/2016-WC (MW)]

Dr. D. CHAUDHURI, Dy. Director General

ANNEXURE

CLASSIFICATION OF AREA

AREA-"A"					
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	(M. Corpn)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	(M. Corpn)
Navi Mumbai	(UA)	Pune	(UA)		

AREA – "B"					
Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M. Corpn)	Jaipur	(M. Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M. Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M. Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneshwar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M. Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvanantapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M. Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M. Corpn)	Ujjain	(M. Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M. Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M. Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)		
Gorakhpur	(UA)	NandedWaghala	(M. Corpn)		
Greater Visakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)		
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)		
Guntur	(UA)	Panchkula	(UA)		
Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		

Note 1.-Area 'C' shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.

Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

का.आ. 189(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा यथा अपेक्षित, सम्पूर्ण भारत में पत्थर की खानों में लगे कर्मचारी के लिए दैनिक मजदूरी की न्यूनतम मात्रानुपाती दर और न्यूनतम प्रत्याभूत कालानुपाती दर पुनरीक्षित करने के लिए, प्रारूप प्रस्ताव उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ और उस तारीख से जब उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट भारत के राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई गई थी, दो मास की अवधि के भीतर उनसे आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2835(अ), तारीख 1 सितंबर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 सितंबर, 2016 को उपलब्ध कराई गई थी;

और उक्त प्रस्ताव पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है.

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (I) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 278(अ), तारीख 3 मार्च, 2006 द्वारा भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है,सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्पूर्ण भारत में पत्थर की खानों में लगे कर्मचारियों के लिए, नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट, दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है।

(1) मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम मात्रानुपाती दरें और न्यूनतम प्रत्याभूत कालानुपाती दरें राजपत्र में इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी।

(2) उक्त पुनरीक्षित मजदूरी, स्तंभ (2) में उल्लिखित कार्य में लगें हुए कर्मचारियों को देय, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (3) में दी गई मजदूरी की आधारिक दर और मजदूरी की न्यूनतम मात्रानुपाती दर के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (4) में दी गई दर पर विशेष भत्ता(जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनीय महंगाई भत्ता कहा गया है) से मिलकर बनेगी। उक्त परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा प्रतिवर्ष 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले प्रत्यक छ: मास के अंतराल तक प्रतिवर्ष क्रमश: 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले छ: मास की पर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकार (आधार 2001-100) के लिए औसत उपभोगता मूल्य सूचकांक के आधार पर, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर पर और रीति में समायोजित किया जाएगा।

सारणी

क्रम संख्यांक	कर्मचारी द्वारा किए गए मात्रानुपाती काम का स्वरूप	प्रस्तावित आधारभूत न्यूनतम दर	271, जो जनवरी-जून, 2016 की अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001 = 100) है, से अधिक या कम होने वाले प्रत्येक बिंदु (इकाई) के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	50 मीटर लैड/1.5 मीटर लिफ्ट वाले भारी बोझ का उत्खनन और उसें हटाया जाना*		
	(क) नरम मृदा	351	1.30
	(ख) चट्टान सहित नरम मृदा	531	1.96
	(ग) चट्टान	703	2.59
2	50 मीटर लैड/1.5 मीटर लिफ्ट वाले अगृहीत पत्थरों का हटाया जाना और उनका ढेर लगाना *	283	1.04
3	प्रवर्ग आकार के पत्थर तोड़ना या पत्थर का संदलन**		
	(क) 1.0 से 1.5 इंच	2171	8.02
	(ख) 1.5 इंच से अधिक से 3.0 इंच तक	1857	6.86
	(ग) 3.0 इंच से अधिक से 5.0 इंच तक	1088	4.01
	(घ) 5.0 इंच से अधिक	893	3.30

*प्रति 2.831 घन मीटर या 100 घन फुट

**5.662 घन मीटर या 200 घन फुट का प्रति ट्रक भार

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

1. मजदूरी की आधारभूत न्यूनतम दर में आराम के साप्ताहिक दिन के लिए मजदूरी भी सम्मिलित होंगी।
2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होंगी।
3. जहां किसी संविदा या करार पर या उससे अन्यथा आधारित पर किसी कर्मचारी की मजदूरी की विद्यमान दरें उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर है, वहां उच्चतर दरों को संरक्षित किया जाएगा और उन्हें ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए न्यूनतम दरों के रूप में माना जाएगा।
4. मात्रानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मजदूरी, अर्थात् पुरानी मजदूरी दर वह होगी, जो कार्य के प्रत्येक प्रवर्ग के सामने सारणी के स्तंभ (3) के नीचे विनिर्दिष्ट है।

5. नियोजक, विस्फोटको, डेटोनेटर, मिट्टी हटाने, जल रहित करने संबंधी प्रभारों तथा इसी प्रकार के अन्य प्रभारों के मद्दे मजदूरी की पूर्वोक्त कीमत दर से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करेगा और नियोजक विस्फोट करने, छेद करने और जल रहित करने की सुविधाओं के लिए सामग्री की आपूर्ति करेगा।

6. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें वहीं होंगी, जो समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों को संदेय हैं।

7. पुरूष, स्त्री और उभयलिंगी कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान मजदूरी दरें प्राप्त करेंगे।

8. मजदूरी की न्यूनतम दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता दोनों को मिलाकर ऐसे न्यूनतम मजदूरी दर नियत की जाएगी, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन प्रवर्तनीय हों।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

डॉ. डी. चौधरी, उप महानिदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2017

S.O. 189(E).—Whereas the draft proposal to revise the minimum piece-rate wages and minimum guaranteed time-rate wages per day payable to the employees engaged in the employment of stone mines in the whole of India was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2835(E), dated the 1st September, 2016 as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, with in a period of two months from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd September, 2016;

AND whereas objections and suggestions received on the said proposal have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the said Act, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 278(E), dated the 3rd March, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Advisory Board hereby revises the minimum rates of wages per day, as specified in the Table below, payable to the employees engaged in the employment of stone mines in the whole of India.

(1). The revised minimum piece-rate wages and minimum guaranteed time-rate wages shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(2) The said revised wages shall consist of basic rate of wages as set out in column (3) of the following Table, payable to the employees engaged in the work mentioned in column (2) thereof, and a special allowance [hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance] at the rate set out in column (4) of the said Table for minimum piece rate of wages. The said Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of every six months commencing on 1st October and 1st April of every year on the basis of the average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 2001=100) for the preceding period of six months ending on 30th June and 31st December every year respectively, at the rate of and in the manner specified in the column (4) of the said Table.

TABLE

Serial Number	Nature of Piece Work done by an employee	Proposed Basic Minimum Wage (In Rs.)	Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 271, which is the average monthly Consumer Price Index Number for industrial workers (Base year 2001=100), for the period January-June, 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Excavation and removal of over burden with 50 meters lead/1.5 meters lift*		
	(a) Soft Soil	351.00	1.30

	(b) Soft Soil with Rock	531.00	1.96
	(c) Rock	703.00	2.59
2	Removal and stacking of rejected stones with 50 meters lead/ 1.5 meters lift*	283.00	1.04
3	Stone breaking or Stone crushing size of category**		
	(a) 1.0 to 1.5 inches	2171.00	8.02
	(b) Above 1.5 to 3.0 Inches	1857.00	6.86
	(c) Above 3.0 to 5.0 Inches	1088.00	4.01
	(d) Above 5.0 Inches	893.00	3.30

* Per 2.831 cubic meters or 100 cubic feet.

** Per truck load of 5.662 cubic meters or 200 cubic feet.

Explanation: For the purposes of this notification,-

1. The basic minimum piece-rate of wages are inclusive of wages payable for the weekly day of rest;
2. the minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also;
3. where the prevailing rates of wages of any employee, based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified under the said Act, the higher rates shall be protected and treated as the minimum rates of wages for purpose of this notification;
4. the minimum guaranteed wage, i.e. the fall-back wage for all piece rated employees shall be as specified under column (3) of the said Table against each category of work;
5. the employer shall not make any deductions whatsoever from the aforesaid piece-rate of wages on account of the cost of explosives, detonator, removal of soil, dewatering charges and similar other costs and the employer will supply material for blasting, drilling of holes and dewatering facilities;
6. the minimum rates of wages for disabled persons shall be the same as payable to the workers of the appropriate category;
7. men, women and transgender employees shall get the same rates of wages for the same work or works of a similar nature; and
8. the minimum rates of wages and Variable Dearness Allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948.

[F. No. S-32017/1/2016-WC (MW)]

Dr. D. CHAUDHURI, Dy. Director General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

का.आ. 190(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा यथा अपेक्षित सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर "झाड़ू लगाने और सफाई करने" के नियोजन में लगे हुए और उससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित कर्मचारियों के वर्गों को प्रतिदिन संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए प्रारूप प्रस्ताव उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ और उस तारीख से जब उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट भारत के राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई गई थी, दो मास की अवधि के भीतर उनसे आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2836(अ), तारीख 1 सितंबर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 सितंबर, 2016 को उपलब्ध कराई गई थी;

और उक्त प्रस्ताव पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत:, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं.1994(अ), तारीख 7 अगस्त, 2008 द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के अधिक्रमण में, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सफाई कर्मचारी और शुष्क शौचालय संन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर झाड़ू लगाने और सफाई करने के नियोजन में लगे हुए कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है।

(1) मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

(2) उक्त पुनरीक्षित मजदूरी,

(क) इसके नीचे वर्णित अनुसूची के भाग I के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित मजदूरी की न्यूनतम दरों; और

(ख) उक्त अनुसूची के भाग II के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित दर पर कोई विशेष भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कहा गया है) और उसके स्तंभ (1) में वर्णित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को संदेय, से मिलकर बनेगी । परिवर्तन महंगाई भत्तों को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा प्रत्येक वर्ष1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक छह मास के अंतराल पर औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के आधार पर (आधार 2001-100) प्रत्येक वर्ष के 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए नीचे दिए गए अनूसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में क्रमश: विनिर्दिष्ट रीति और दर पर समायोजित किया जाएगा :

अनुसूची

भाग 1 न्यूनतम मजदूरियों की आधारी दरें

क्षेत्र	दैनिक न्यूनतम मजदूरी (रुपए में)
(1)	(2)
क	573.00
ख	437.00
ग	350.00

भाग 2 परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें

क्षेत्र	271, जो जनवरी-जून, 2016 की अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों (आधार 2001 = 100) के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत है, से परे बढने वाले या कम होने वाले प्रत्येक बिन्दु के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर
क्षेत्र	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (रुपए में)
क	1.93
ख	1.61
ग	1.29

स्पष्टीकरण-- अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

1. इस अधिसूचना के उपाबंध में क्रमश: यथा उपदर्शित क्षेत्र "अ" और क्षेत्र "आ" में उक्त उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट सभी स्थान समाविष्ट होंगे और नगर निगम या नगर पालिका या छावनी बोर्ड या किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी स्थान सम्मिलित होंगे। क्षेत्र "इ" में ऐसे सभी स्थान सम्मिलित होंगे, जो उपाबंध के क्षेत्र "अ" और क्षेत्र "आ" में वर्णित नहीं है और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का विस्तार होता है;

2. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह किराए भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए या उन्नयन किए गए स्थानों को ऐसे वर्धन या उन्नयन की तारीख से इस प्रारूप प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए जोड़ा जाएगा;

(3) जहां, किसी कर्मचारी के लिए किसी संविदा या करार या अन्यथा के आधार मजदूरियों की विद्यमान दर पर इसमें अधिसूचित दरों से अधिक है तो वहां उच्चतर दरों को संरक्षित किया जाएगा और उन्हें ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लागू न्यूनतम दर के रूप में माना जाएगा ;

(4) मजदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक आराम के दिन की मजदूरी भी सम्मिलित होगी;

(5) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी;

(6) निःशक्त व्यक्तियों की मजदूरी की न्यूनतम दरें वहीं होंगी, जो समुचित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है ;

(7) स्त्री, पुरूष और उभयलिंगी कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए, जिसके लिए उन्हें नियोजित किया जाता है, मजदूरी की समान दरों के लिए हकदार होंगे;

(8) मजदूरी की न्यूनतम दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दोनों से मिलकर न्यूनतम मजदूरी की दर बनेगी जिसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन लागू किया जाएगा।

(9) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें राज्य सरकार द्वारा, जिसके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है, पूर्वोक्त नियोजनों के कर्मचारियों के लिए नियत मजदूरी के न्यूनतम दरों से निम्नतर है, वहां राज्य सरकार द्वारा नियत मजदूरी के दरें ऐसे क्षेत्रों के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन संदेय मजदूरियों की न्यूनतम दरें समझी जाएं।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

डॉ. डी. चौधरी, उप महानिदेशक

उपाबंध

क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्षेत्र - "अ"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलेक्स	(नगर निगम)
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	(यूए)
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत्त मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	(नगर निगम)
नवी मुंबई	(यूए)	पुणे	(यूए)		

क्षेत्र - "आ"

आगरा	(यूए)	ग्वालियर 1 (यूए)		पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-छावनी	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)

बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवंतपुरम्	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)		
बृहत्त विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)		
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुंटूर	(यूए)	पंचकुला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 : क्षेत्र "ग" ऐसे सभी क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, जो इस सूची में वर्णित नहीं है किंतु जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी समूह अभिप्रेत है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2017.

S.O. 190(E).— Whereas the draft proposal to revise the minimum rates of wages per day payable to the categories of employees mentioned in the Schedule annexed there to and engaged in the employment of "Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993" was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2836 (E), dated the 1st September, 2016, as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of two months from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd September, 2016;

AND whereas objections and suggestions received on the said proposal have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1994(E), dated the 7th August, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Advisory Board hereby revises the minimum rates of wages payable to the employees engaged in the employment of Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavenges and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993.

(1) The revised minimum rates of wages shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(2) The said revised wages shall consist of, –

(a) basic rates of wages as set out in column (2) of Part I of the Schedule mentioned hereunder; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) at the rate as set out in column (2) of Part II of the said Schedule and payable to the employees working in areas mentioned in column (1) thereof. The Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of every six months commencing on 1st October and 1st April of every year on the basis of the average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base2001=100) for the preceding period of six months ending on 30th June and 31stDecember every year respectively at the rate of and in the manner specified in the column (2) of Part II of the Schedule as below:

SCHEDULE

Part – I Basic rates of minimum wages :

Area	Minimum Wages per day (In Rupees)
(1)	(2)
A	523.00
B	437.00
C	350.00

Part – II Rate of Variable Dearness Allowance :

Area	Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 271, which is the average monthly Consumer Price Index Numberfor Industrial Workers.(Base 2001=100) for the period January-June, 2016.
Area	Variable Dearness Allowance (In Rupees)
(1)	(2)
A	1.93
B	1.61
C	1.29

Explanation: For the purposes of the notification,-

1. Area "A" and Area "B" as indicated in Annexure to this notification shall respectively comprise all the places as specified in the said Annexure as such areas, and include all places within a distance of fifteen kilometers from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place. Area "C" shall comprise of all the other places not mentioned in Area "A" and "B" of the Annexure and to which the Minimum Wages Act, 1948 extends;
2. the places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of House Rent Allowance to Central Government employees shall be taken to be added from the date of such addition or up-gradation for the purposes of classification specified in Annexure to this notification;
3. where the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be protected and treated as minimum rates of wages, applicable for the purpose of this notification to such employees;
4. the minimum rates of wages include the wages for weekly day of rest;
5. the minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;
6. the minimum rates of wages for disabled persons shall be same as payable to the workers of appropriate category;
7. the men, women and transgender employees shall get the same rates of wages for the same work or work of similar nature;
8. the minimum rates of wages and Variable Dearness Allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948);
9. where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees of the aforesaid employments in relation to which the State Government is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall, in respect of such areas, be deemed to be the minimum rates of wages payable under this notification.

[F. No. S-32017/1/2016-WC (MW)]

Dr. D. CHAUDHURI, Dy. Director General

ANNEXURE

CLASSIFICATION OF AREAS

AREA – "A"					
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	(M.Corpn)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	(M. Corpn)
Navi Mumbai	(UA)	Pune	(UA)		
AREA – "B"					
Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M.Corpn)	Jaipur	(M.Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M.Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M.Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneshwar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M.Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvanantapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M.Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corpn)	Ujjain	(M.Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)		
Gorakhpur	(UA)	NandedWaghala	(M. Corpn)		
Greater Visakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)		
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)		
Guntur	(UA)	Panchkula	(UA)		
Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		

Note 1.-Area 'C' shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.

Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

का.आ. 191(अ).— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा(1) के खंड(ख) द्वारा यथा अपेक्षित "पहरा और निगरानी" के नियोजन में लगे हुए और उससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित कर्मचारियों के वर्गों को प्रतिदिन संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए प्रारूप प्रस्ताव उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ और उस तारीख से जब उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट भारत के राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई गई थी, दो मास की अवधि के भीतर उनसे आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2837(अ), तारीख 1 सितंबर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 सितंबर, 2016 को उपलब्ध कराई गई थी;

और उक्त प्रस्ताव पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत:, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उपधारा(2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 2223(अ), तारीख 18 सितंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के अधिक्रमण में, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् 'पहरा और निगरानी' के नियोजन में लगे हुए कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है।

(1) मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) उक्त पुनरीक्षित मजदूरी,

(क) इसके नीचे वर्णित अनुसूची के भाग I के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित मजदूरी की न्यूनतम दरों; और

(ख) उक्त अनुसूची के भाग II के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित दर पर कोई विशेष भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कहा गया है) और उसके स्तंभ (1) में वर्णित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को संदेय, से मिलकर बनेगी। परिवर्तन महंगाई भत्तों को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा प्रत्येक वर्ष1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक छह मास के अंतराल पर औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के आधार पर (आधार 2001-100) प्रत्येक वर्ष के 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए नीचे दिए गए अनूसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में क्रमश: विनिर्दिष्ट रीति और दर पर समायोजित किया जाएगा :

अनुसूची

भाग 1 मजदूरियों की आधारी दरें

क्षेत्र	दैनिक मजदूरी (रुपए में)
शस्त्र रहित (कुशल)	
(1)	(2)
क	637.00
ख	579.00
ग	494.00
शस्त्र सहित (उच्च कुशल)	
क	693.00
ख	637.00
ग	579.00

भाग II परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें

क्षेत्र	271, जो जनवरी-जून, 2016 की अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों (आधार 2001 = 100) के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत है, से परे बढने वाले या कम होने वाले प्रत्येक बिन्दु के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर
क्षेत्र	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (रुपए में)
शस्त्र रहित (कुशल)	
(1)	(2)
क	2.35
ख	2.14
ग	1.82
शस्त्र सहित (उच्च कुशल)	
क	2.56
ख	2.35
ग	2.14

स्पष्टीकरण-- अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

(क) इस अधिसूचना के उपाबंध में क्रमश: यथा उपदर्शित क्षेत्र "अ" और क्षेत्र "आ" में उक्त उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट सभी स्थान समाविष्ट होंगे और नगर निगम या नगर पालिका या छावनी बोर्ड या किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी स्थान सम्मिलित होंगे। क्षेत्र "इ" में ऐसे सभी स्थान सम्मिलित होंगे, जो उपाबंध के क्षेत्र "अ" और क्षेत्र "आ" में वर्णित नहीं है और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का विस्तार होता है;

(ख) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह किराए भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए या उन्नयन किए गए स्थानों को ऐसे वर्धन या उन्नयन की तारीख से इस प्रारूप प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए जोड़ा जाएगा;

(ग) जहां, किसी कर्मचारी के लिए किसी संविदा या करार या अन्यथा के आधार मजदूरियों की विद्यमान दर पर इसमें अधिसूचित दरों से अधिक है तो वहां उच्चतर दरों को संरक्षित किया जाएगा और उन्हें ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लागू न्यूनतम दर के रूप में माना जाएगा ;

(घ) (i) "अर्ध-कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से अर्जित कुछ कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है और जो किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए सक्षम है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षणीय कार्य भी है।

(ii) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रुप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है और ऐसा कार्यपालन जिसमें पहल और निर्णय के लिए आवश्यकता होती है।

(ड.) मजदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक आराम के दिन की मजदूरी भी सम्मिलित होगी;

(च) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी;

(छ) नि:शक्त व्यक्तियों की मजदूरी की न्यूनतम दरें वहीं होंगी, जो समुचित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है ;

(ज) स्त्री, पुरूष और उभयलिंगी कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए, जिसके लिए उन्हें नियोजित किया जाता है, मजदूरी की समान दरों के लिए हकदार होंगे;

(झ) मजदूरी की न्यूनतम दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दोनों से मिलकर न्यूनतम मजदूरी की दर बनेगी जिसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन लागू किया जाएगा।

(ञ) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें राज्य सरकार द्वारा, जिसके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है, पूर्वोक्त नियोजनों के कर्मचारियों के लिए नियत मजदूरी के न्यूनतम दरों से निम्नतर है, वहां राज्य सरकार द्वारा नियत मजदूरी के दरें ऐसे क्षेत्रों के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन संदेय मजदूरियों की न्यूनतम दरें समझी जाएं।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

डॉ. डी. चौधरी, उप महानिदेशक

उपाबंध

क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्षेत्र - "अ"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलेक्स	(नगर निगम)
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	(यूए)
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत्त मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	(नगर निगम)
नवी मुंबई	(यूए)	पुणे	(यूए)		

क्षेत्र - "आ"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर 1 (यूए)		पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-छावनी	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवंतपुरम्	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)

इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)		
बृहत्त विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)		
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुंटूर	(यूए)	पंचकुला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 : क्षेत्र "इ" ऐसे सभी क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, जो इस सूची में वर्णित नहीं है किंतु जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी समूह अभिप्रेत है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2017.

S.O. 191(E).— Whereas the draft proposal to revise the minimum rates of wages per day payable to the categories of employees mentioned in the Schedule annexed thereto and engaged in the employment of "Watch and Ward" was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2837 (E), dated the 1st September, 2016 as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of two months from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd September, 2016;

AND whereas objections and suggestions received on the said proposal have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the said Act, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide numbers S.O.2233(E), dated the 18th September, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Advisory Board hereby revises the minimum rate of wages payable to the employees engaged in the employment of 'Watch and Ward'.

(1) The revised minimum rates of wages shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(2) The revised minimum rates shall consist of, –

(a) basic rates of wages as set out in column (2) of Part I of the Schedule mentioned hereunder; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) at the rate as set out in column (2) of Part II of the Schedule and payable to the employees working in areas mentioned in column (1) thereof. The Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of every six months commencing on 1st October and 1st April of every year on the basis of the average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base2001=100) for the preceding period of six months ending on 30th June and 31st December every year respectively at the rate of and in the manner specified in the column (2) of Part II of the Schedule as below:

SCHEDULE

Part – I Basic rates of wages

Area	Daily wage (In Rupees)
(1)	(2)
Without arms(Skilled)	
A	637.00
B	579.00
C	494.00
With arms (Highly Skilled)	
A	693.00
B	637.00
C	579.00

Part – II Rate of Variable Dearness Allowance

Area	Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 271, which is the average monthly Consumer Price Index Numberfor Industrial Workers.(Base 2001=100) for the period January-June, 2016.
Area	Variable Dearness Allowance (In Rupees)
(1)	(2)
Without arms (Skilled)	
A	2.35
B	2.14
C	1.82
With arms (Highly Skilled)	
A	2.56
B	2.35
C	2.14

Explanation: For the purposes of the notification,-

(a) Area "A" and Area "B" as indicated in Annexure to this notification shall respectively comprise all the places as specified in the said annexure as such areas, and include all places within a distance of fifteen kilometres from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place. Area "C" shall comprise of all the other places not mentioned in Area "A" and "B" of the Annexure and to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends;

(b) the places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purposes of payment of House Rent Allowance to Central Government employees shall be taken to be added from the date of such addition or up-gradation for the purposes of classification specified in Annexure to this notification;

(c) where the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be protected and treated as minimum rates of wages, applicable for the purpose of this notification to such employees;

(d) (i) "skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(ii) "highly skilled work" means work which calls for a degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks including clerical work acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for certain reasonable period and also requires an worker to assume full responsibility for the judgement or decision involved in the execution of the tasks;

(e) the minimum rates of wages include the wages for weekly day of rest;

(f) the minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

(g) the minimum rates of wages for disabled persons shall be the same as payable to the workers of appropriate category;

(h) the men, women and transgender employees shall be entitled for the same rates of wages for the same work or work of similar nature;

(i) the minimum rates of wages and Variable Dearness Allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948(11 of 1948); and

(j) where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees of the aforesaid Employments in relation to which the State Government is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall in respect of these areas, be deemed to be the minimum rates of wages payable under this notification.

[F. No. S-32017/1/2016-WC (MW)]

Dr. D. CHAUDHURI, Dy. Director General

ANNEXURE

CLASSIFICATION OF AREAS

AREA – "A"					
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	(M.Corpn)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	(M. Corpn)
Navi Mumbai	(UA)	Pune	(UA)		
AREA – "B"					
Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M.Corpn)	Jaipur	(M.Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M.Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M.Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneshwar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M.Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvanantapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M.Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corpn)	Ujjain	(M.Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)

Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)		
Gorakhpur	(UA)	NandedWaghala	(M. Corpn)		
Greater Visakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)		
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)		
Guntur	(UA)	Panchkula	(UA)		
Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		

Note 1.-Area 'C' shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.

Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

का.आ. 192(अ).— प्रारूप प्रस्ताव न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा यथा अपेक्षित इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित कर्मचारियों के प्रवर्गों (i) रेल के माल गोदामों, पार्सल कार्यालय ; (ii) अन्य माल गोदामों, गोदामों, भंडारण तथा अन्य समान नियोजन ; (iii) डाक और पत्तन ; और (iv) विमानपत्तनों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों में) कार्गों में लदाई और उतराई में लगे हुए कर्मचारियों को संदेय दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दर को पुनरीक्षित करने के लिए है, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2838(अ) तारीख 1 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिनसे उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उस अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, दो मास की अवधि में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 2 सितंबर, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रस्ताव पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1284(अ), तारीख 20 मई, 2009 में प्रकाशित अधिसूचना को सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए उपरोक्त नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित करती है ।

(1) मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दर राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

(2) मजदूरियों की न्यूनतम पुनरीक्षित दर में—

(क) इसमें इसके पश्चात् वर्णित अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (2) में यथा अधिकथित मजदूरियों की आधारी दरें, और

(ख) अनुसूची के भाग II के स्तंभ (2) में एक विशेष भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कहा गया है), जो उसके भाग 1 और भाग II के स्तंभ में वर्णित क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को संदेय है । परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक छह मास के अंतराल पर औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के आधार पर (आधार 2001 = 100) प्रत्येक वर्ष के 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छह मास की पूर्ववर्ती अवधि के लिए नीचे दी गई अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में क्रमश: विनिर्दिष्ट रीति और दर पर समायोजित किया जाएगा :

अनुसूची

भाग 1 न्यूनतम मजदूरियों की आधारी दरें

क्षेत्र	दैनिक मजदूरी (रुपए में)
(1)	(2)
क	523
ख	437
ग	350

भाग 2 परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें

क्षेत्र	271, जो जनवरी-जून, 2016 की अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों (आधार 2001 = 100) के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत है, से परे बढने वाले या कम होने वाले प्रत्येक बिन्दु के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर
क्षेत्र	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (रुपए में)
(1)	(2)
क	1.93
ख	1.61
ग	1.29

स्पष्टीकरण-- अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

(क) इस अधिसूचना के उपाबंध में क्रमशः यथा उपदर्शित क्षेत्र "अ" और क्षेत्र "आ" में उक्त उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट सभी स्थान समाविष्ट होंगे और नगर निगम या नगर पालिका या छावनी बोर्ड या किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी स्थान सम्मिलित होंगे। क्षेत्र "इ" में ऐसे सभी स्थान सम्मिलित होंगे, जो उपाबंध के क्षेत्र "अ" और क्षेत्र "आ" में वर्णित नहीं है और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का विस्तार होता है।

(ख) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह किराए भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए या उन्नयन किए गए स्थानों को ऐसे वर्धन या उन्नयन की तारीख से इस प्रारूप प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए जोड़ा जाएगा।

(ग) जहां, किसी कर्मचारी के लिए किसी संविदा या करार या अन्यथा के आधार मजदूरियों की विद्यमान दर पर इसमें अधिसूचित दरों से अधिक है तो वहां उच्चतर दरों को संरक्षित किया जाएगा और उन्हें ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लागू न्यूनतम दर के रूप में माना जाएगा।

(घ) मजदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक आराम के दिन की मजदूरी भी सम्मिलित होगी।

(ङ) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।

(च) नि:शक्त व्यक्तियों की मजदूरी की न्यूनतम दरें वहीं होंगी, जो समुचित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है।

(छ) स्त्री, पुरूष और उभयलिंगी कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए, जिसके लिए उन्हें नियोजित किया जाता है, मजदूरी की समान दरों के लिए हकदार होंगे।

(ज) मजदूरी की न्यूनतम दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दोनों से मिलकर न्यूनतम मजदूरी की दर बनेगी जिसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन लागू किया जाएगा।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

डॉ. डी. चौधरी, उप महानिदेशक

उपाबंध

क्षेत्रों का वर्गीकरण

		क्षेत्र - "अ"			
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलेक्स	(नगर निगम)
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	(यूए)
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत्त मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	(नगर निगम)
नवी मुंबई	(यूए)	पुणे	(यूए)		
		क्षेत्र - "आ"			
आगरा	(यूए)	ग्वालियर 1 (यूए)		पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-छावनी	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवंतपुरम्	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)		
बृहत्त विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)		
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुंटूर	(यूए)	पंचकुला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 : क्षेत्र "इ" ऐसे सभी क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, जो इस सूची में वर्णित नहीं है किंतु जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी समूह अभिप्रेत है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2017.

S.O. 192(E).— Whereas the draft proposal to revise the minimum rates of wages per day payable to the categories of employees mentioned in the Schedule annexed thereto and engaged in the employment of "Loading and Unloading in (i) Goods-Sheds, Parcel Offices of Railways; (ii) Other Goods-sheds, Godowns, Warehouses and other similar employments; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passenger Goods and Cargo carried out at Airports (both International and Domestic)" was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2838 (E), dated the 1st September, 2016, as required by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of two months from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd September, 2016;

AND whereas objections and suggestions received on the said proposal have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of Section 4 and sub-section (2) of section 5 of the said Act, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.1284(E), dated the 20th May, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Advisory Board hereby revises the minimum rate of wages payable to the employees engaged in the aforesaid employment.

(1) The revised minimum rates of wages shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(2) The revised minimum wages shall consist of, –

(a) basic rates of wages as set out in column (2) of Part I of the Schedule mentioned hereunder; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) at the rate as set out in column (2) of Part II of the said Schedule and payable to the employees working in areas mentioned in column (1) thereof. The Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of every six months commencing on 1st October and 1st April of every year on the basis of the average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base2001=100) for the preceding period of six months ending on 30th June and 31stDecember every year respectively at the rate of and in the manner specified in the column (2) of Part II of the said Schedule as below:

SCHEDULE

Part – I Basic rates of minimum wages :

Area	Minimum Wages per day (In Rupees)
(1)	(2)
A	523.00
B	437.00
C	350.00

Part – II Rate of Variable Dearness Allowance :

Area	Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 271, which is the average monthly Consumer Price Index Number for Industrial Workers.(Base 2001=100) for the period January-June, 2016.
Area	Variable Dearness Allowance (In Rupees)
(1)	(2)
A	1.93
B	1.61
C	1.29

Explanation: For the purposes of the notification,-

(a) Area "A" and Area "B" as indicated in Annexure to this notification shall respectively comprise all the places as specified in the said Annexure as such areas, and include all places within a distance of fifteen kilometers from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place. Area "C" shall comprise of all the other places not mentioned in Area "A" and "B" of the Annexure and to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends;

(b) the places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of House Rent Allowance to Central Government employees shall be taken to be added from the date of such addition or up-gradation for the purposes of classification specified in Annexure to this notification;

(c) where the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be protected and treated as minimum rates of wages, applicable for the purpose of this notification to such employees;

(d) the minimum rates of wages include the wages for weekly day of rest;

(e) the minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

(f) the minimum rates of wages for disabled persons shall be the same as payable to the workers of appropriate category;

(g) the men, women and transgender employees shall be entitled for the same rates of wages for the same work or work of similar nature;

(h) the minimum rates of wages and Variable Dearness Allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948(11 of 1948).

[F. No. S-32017/1/2016-WC (MW)]

Dr. D. CHAUDHURI, Dy. Director General

ANNEXURE

CLASSIFICATION OF AREAS

AREA – "A"					
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	(M.Corpn)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	(M. Corpn)
Navi Mumbai	(UA)	Pune	(UA)		
AREA – "B"					
Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M.Corpn)	Jaipur	(M.Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M.Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M.Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneshwar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M.Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvanantapuram	(UA)
Bokaro Steel	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)

City					
Chandigarh	(UA)	Kota	(M.Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corpn)	Ujjain	(M.Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)		
Gorakhpur	(UA)	NandedWaghala	(M. Corpn)		
Greater Visakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)		
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)		
Guntur	(UA)	Panchkula	(UA)		
Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		

Note 1.-Area 'C' shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.

Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

का.आ. 193(अ).— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा यथा अपेक्षित प्रारूप प्रस्ताव, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2092, तारीख 23 अप्रैल, 1983 को संशोधित करने के लिए है, जो भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सं. का.आ. 2839(अ) तारीख 1 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उस अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीन मास की अवधि में आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 2 सितंबर, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केंद्रीय सरकार के उक्त प्रस्ताव पर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2092, तारीख 23 अप्रैल, 1983, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुए थे, मे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना में, "में रेलों, माल गोदामों, डाको और पत्तनों में लदाई और उतराई" शब्दों के स्थान पर "में रेलों, माल गोदामों, डाका पत्तनों और हवाई अड्डों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनल दोनों)" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

डॉ. डी. चौधरी, उप महानिदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2017.

S.O. 193(E).— Whereas the draft proposal to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.2092 , dated the 23rd April, 1983, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2839(E), dated the 01st September, 2016, as required by section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd September, 2016;

AND whereas no objections and suggestions have been received on the said proposal by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 27 of the said Act the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Labour and Employment, S.O. 2092 , dated the 23rd April, 1983, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, for the words "the employment in loading and unloading in Railways, goods sheds, docks and ports", the words "the employment in loading and unloading in Railways, goods-sheds, docks, ports and airports (both International and Domestic terminals)" shall be substituted.

[F. No. S-32017/1/2016-WC (MW)]

Dr. D. CHAUDHURI, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.20 11:07:10 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938
No. 562] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 628(अ).— भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. 173 का.आ. 187(अ), तारीख 19-01-2017, हिंदी पाठ के पृष्ठ 10, पंक्ति 35 में "26. बेलदार/बेलदार" के स्थान पर "26. बेलदार/बेलदार (कैंटीन)" पढ़ा जाए। अधिसूचना सं. 173 का.आ. 190 (अ), तारीख 19-01-2017, हिन्दी पाठ के पृष्ठ 35, पंक्ति 18 में "573.00" के स्थान पर "523.00" पढ़ा जाए।

[फा.सं. एस-32017/01/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

के. एम. गुप्ता, ज्येष्ठ श्रम व रोजगार सलाहकार

1072 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.27 16:02:37 +05'30'